पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती हैं अगर उनमें भारी भीड़ रहती है। लोगों को कई घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कई बार घर वापस लौटना पड़ता है।

महोदय, यह भी भलीभांति ज्ञात है कि ये क्षेत्र पर्यटक स्थल हैं और इनमें बाहर के पर्यटक काफी संख्या में जाते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि दिल्ली और रामनगर के बीच दोनों ओर से रात की गाड़ियां चलाई जाएं जिससे कि हजारों यात्रियों को होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। रात की गाड़ियों को चलाने से यह भी लाभ है कि प्रातः रामनगर पहुंचकर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अपने नगरों और अपने घरों तक समय पर पहुंच सकेंगे।

मेरा यह भी निवेदन है कि अंतर्राज्यीय बस अड्डे से भी अधिक बसें इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए, इन पर्यटक स्थलों के लिए चलाई जाए ताकि अधिक पर्यटक वहां जा सकें और वहां के लोगों को अभी होने वाली कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और सुदूर उत्तरांचल भारत की मुख्य धारा से जुड़ा रहे।

REFERENCE TO STATEMENT REGARDING 4TH, 5TH, 6TH INTERIM REPORTS AND FINAL REPORT OF KUDAL COMMISSION OF INQUIRY INTO AFFAIRS OF GANDHI PEACE FOUNDATION AND CONNECTED ORGANISATIONS

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have before me the statement of the Home Minister. As you are aware, the Kudal Commission took five years and the Government of India took two years and the Home Minister placed the reports on the Table of the Home on 7th and comes forth with a *suo motu* statement on 8th. Sir, the Government in general and Mr. Buta Singh in particular suffer from political colour-blindness and from short-sight edness. Otherwise, I see no reason why there was no haste on the part of the Government for two years and why it suddenly wakes up and comes with a *suo motu* statement on 8th. It is merely because the perceptions have been partial and biased and the choice has been politically motivated and that is the reason why we have got these reports before us. But, Sir, there is another problem. Not merely the perceptions have been biased, partial and coloured, but they are also sometimes based upon facts which are not facts—not merely the Home Minister and the report but even some of the Members. I have got a copy of the letter written by Mr. George Fernandes about whom there was a reference by the Members and which was obliquly supported by the Home Minister also. He said that the names which figure in the Kudal Commission are also there in the report which I have given and therefore the Member is right. The charge was this. I do not want to go into the argument that he started with mother and came to some relative, etc. Now Mr. George Fernandes has this to say, about mother incident, 'Though I am unhappy that he chose to kill some relative of mine..'—'that means no relative. Secondly, he also denies the charge saying that my wife travelled in a chartered plane from America is a blantant lie'. This is part of a letter written by George Fernandes. Therefore, it is not proper on the part of the Members belonging to the Treasury Benches—because they have a greater responsibility, they are supposed to base their arguments on facts which are more reasonable to them than to us—to indulge in such character assassination of somebody who is not in a position to defend himself and who has to take recourse to writing a letter to the Chairman and asking for its rectification. Not only that. This Kudal Commission Report while it was being placed before the House reveals certain very interesting things. The Home Minister's statement says, for instance, about the first interim report—how many cases were there,

[Prof. C. Lakshmanna]

how many cases were actionable and how many cases were not actionable, but without taking into consideration what were those cases which were actionable and who figured there and what were those cases which were not actionable and therefore which were dropped and who figured there. So, without making any distinction the report simply says, 'Prominent among the people... '...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The details are given in the report.

PROF. C. LAKSHMANNA: That is precisely the point, my dear Vice-Chairman,....

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): The day before yesterday a memorandum of action was placed.

PROF. C. LAKSHMANNA: The reports were placed on the floor of the House on 7th and the Home Minister thought it fit to come with a *suo motu* statement on the 8th. If the Home Minister thinks that anyone in the House can read all these four or five volumes in one day...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): A summary has been given in 15 pages which I have seen.

PROF. C. LAKSHMANNA: But why should I read a summary? For instance...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Let him ask for clarifications.

[The Vice-Chairman, Shri Satya Prakash Malaviya, in the Chair]

PROF. C. LAKSHMANNA: For instance, I will only cite one example. In one of the cases they have mentioned 'among the prominent persons, Mr. George Verghese...' I will read out that particular paragraph. Government's memorandum of action taken on the first report says, "Of the 11 cases CBI has been asked to make further investigation and initiate appropriate legal proceedings in seven; these include Mr. George Verghese. CBI, however, is of the opinion that no offence is made out in all the seven cases referred to by the Kudal Commission." This is what CBI says. But still Mr. George Verghese's name figures very prominently because he is a prominent citizen of India. I do understand it, you cannot take away his prominence, he is a well-known journalist. But the way they are trying to hit below the belt is something which is not expected of the Government, however much the Government may be interested in making a political capital out of these things, especially when their ship is sinking...

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Day-dreaming.

PROF. C. LAKSHMANNA: Who is doing day-dreaming, Mr. Matto? I think it is not for you to say that because you are caught between two stools and when their ship sinks you are liable to be hit more than anybody else. Now, I would like to ask the honourable Minister specifically one question. If there had been cases against any gentleman whose name has figured and if that gentleman is growing in stature year by year—and this year he has even got the distinction of being given the Magsaysay Award and I do not think that the Government of India will say that the Magsaysay Award is also a conferment upon dubious individuals, etc.—and if that is the case, I would like to know from the Minister as to what the purpose is which is served by mentioning these names in the report. And, if there had been any substantive case of indictment, etc. against

them, I would like to know what the procedure is which has been adopted and what has been the action taken and if action has been taken, what has happened to it.

Then, Sir, the entire report deals with the amounts that are supposed to have been utilized by the agencies. I would like to know, with regard to the amounts that have been mentioned, whether these amounts are supposed to have flowed to individuals or organizations and if they have flowed, what the sources are through which they have flowed and what happened to the Government of India's agencies and Government of India's financial agencies which allowed these amounts to flow into the country. It only proves that this Government has been incapable of dealing with such situations. It only confirms that. Already the country has been burdened with about fifty thousand crores of rupees of black money or even more and, if there is black money, that black money has been allowed to be stashed away or this Government has been allowing that money to be stashed away in the Swiss banks and they have not come forward with any statement as to who those persons are who are having accounts in those banks and what the amounts are. If they had come out with these details, they could have been easily nabbed and punished. They cou'd have been easily nabbed and punished if we had only been honest in our polices and if we had approached the Swiss Government to give the names of those persons who have stashed away huge amounts of money in their banks. But they did not do it and they won't do it. Even after asuring the House, they won't do it. I would therefore, like to ask, now that Mr. Buta Singh is here, how it is that this particular Commission's Report has become so important while there are other Commissions' Reports which have been gathering dust elsewhere and how it is that the Government has not shown the same alacrity which it has shown in this case in respect of the other reports probably because they wanted to take a political mileage out of it and there is nothing more to it. If they want to take political mileage out of it, I would only warn that the country will not tolerate them, the society will not tolerate them and the people will not tolerate them.

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आज 9 अगस्त का महत्वपूर्ण दिवस है और आज ही के दिन सन् 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने और हमारे देश के असंख्य नवजवानो, बूढ़ों और महिलाओं ने यह फैसला किया था कि गांधी जी के नारे को साकार करेंगे। आप जानते हैं कि गांधी जी ने "करो या मरो" का नारा दिया था। देश ने नारा दिया, कांग्रेस ने नारा दिया "अंग्रेजो भारत छोड़ो।" इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस सन् 1942 का नारा देने के बाद से सन् 1947 में आजादी पाने के पावन अवसर से लेकर आज तक हमने, हमारी पार्टी ने और हमारे नेताओं ने गांधी जी की परम्परा को इस देश में लागू करने के लिए प्रयास किये, गांधी जी के सपनों को साकार करने का प्रयास किया और गांधी जी को राष्ट्रपिता और इस देश के बापू की हैसियत से प्रतिष्ठित करने में अपनी आहुतियां तक दी।

आज बड़े अफसोस का दिन है कि हम कुडाल आयोग से संबंधित जो सोयो-मोटो स्टेटमेंट गृह मंत्री ने दिया है उस पर कुछ स्पष्टीकरण मांगने के लिये खड़े हुए हैं। यह कुडाल आयोग और इसकी रिपोर्ट स्वयं में एक ऐसा दस्तवेज है जिसने उन लोगों को बेनकाब किया है जिन्होंने अपनी भोलीभाली शक्लों के जरिये गांधी जी के पवित्र और पावन नाम को बदनाम करने से भी पीछे हटने का विचार नहीं किया। गांधी पीस फाउंडेशन के नाम से, गांधी स्मारक निधि के नाम से, आल इंडिया सर्व सेवा संघ के नाम से और इसमें जो एसोसियेट संगठन हैं, तो किन भावनाओं से उन्होंने इस संस्थाओं को बनाया था और विशेषकर गांधी पीस

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

फाउंडेशन को कि इसके माध्यम से सर्वहारा वर्ग के लिये, समाज के दलित, पीड़ित और शोषित लोगों के लिये, उन लोगों के लिये जिनको आजादी मिलने के बाद एक नया रास्ता दिखना चाहिये, उनकी जिंदगी में परिवर्तन की एक नई लहर आनी चाहिये और केवल राजनैतिक दलों के प्रयासों से ही नहीं बल्कि गांधी जी की अपील थी कि अगर हमें गांवों में जाना है, हमें स्लम बस्तियों में जाना है, हमें बैकवर्ड लोगों के पास जाना है, हमें शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास जाना है तो फिर हमें समाज सेवी संस्थाओं का सहारा लेना होगा । इस भावना का जिस प्रकार से शोषण कुछ लोगों ने किया, जिनका नाम मुख्य रूप से इस रिपोर्ट के अंदर इंगित किया गया है अखबारों में भी इसकी पूर्णरूप से चर्चा हुई है । ये वे लोग हैं जिनकी सूरतें देखने के बाद यह आशा की जाती है कि शायद ये समाजवादी होंगे । जिनकी बातें सुनने के बाद यह उम्मीद की जाती है कि यह उस आंदोलन में विशेषरूप से रुचि लेने वाले लोग होंगे जो गांधी जी द्वारा कभी चलाया गया था, कभी जय प्रकाश बाबू द्वारा चलाया गया था और कभी विनोबा भावे जैसे संत द्वारा चलाया गया था । ऐसे इंसान के जरिये जो साधुओं की जिंदगी जिया लेकिन इस देश के सर्वहारा वर्ग के लिये उसने इस आंदोलन को चलाया था । लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट से और माननीय गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट से यह पता चला कि वे लोग इसके अंदर हैं जो दंडवतेजी और फर्नांडीज के नाम से जाने जाते हैं । हो सकता है कि कोई कहे कि उनका नाम मत लीजिये लेकिन अफसोस कि उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र दे देने के बाद अपने नाम की चर्चा करने का अवसर इस हाउस को दिया है । माननीय, आप जानते हैं कि 9 अगस्त को हमने एक नारा दिया था, सन 1942 में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो । आज आपके माध्यम से मैं सारे देश के लोगों के सामने अपनी कमजोर आवाज में कहना चाहता हूं कि भ्रष्ट राजनैतिज्ञो समाज सेवा को छोड़ो और बेनकाब होकर जनता के सामने आओ । जो वालेंटरी आर्गेनाइजेशन है, एन. जी. ओज हैं, नान गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन जो हैं, जो समाज सेवी संस्थायें हैं, जो वाकई में समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनका भी कुडाल आयोग की इस रपट से सर झुका है । किस प्रकार से इन लोगों ने जिनका नाम मैंने अभी लिया, उन्होंने गांधी जी के नाम का उपहास उड़ाया । गांधी जी का जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था , एक ऐसी मीनार जो रोशनी की मीनार आज तक है, किस प्रकार से उन्होंने उसको धूमिल करने का प्रयास किया । हमारी सरकार ने जब सन् 1981 में यह फैसला किया कि एक कमीशन बिठाया जायेगा तो यह केवल सरकार का फैसला नहीं था । यह ऐसा नहीं था कि रात को हम सोये और सुबह उठकर हमने फैसला कर लिया हो कि कल हमें एक कमीशन बिठा देना है । ऐसी बात नहीं है । जनप्रतिनिधियों के जरिये, समाज सेविकों के जरिये, समाज सेविकाओं के जरिये, राजनैतिज्ञों के जरिये और इस देश में जो परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक दृष्टि से जो चाहते हैं कि इस देश के अन्दर ऐसा समाज बने जो न्याय के आधार पर हो उन सबके लिये एक मुद्दा बना हुआ, था गांधी पीस फाउंडेशन । इसके जरिये वह पैसा यहां के सर्वहारा वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, हरिजनों के लिए पीड़ितों के लिए, निरक्षरों के लिए, बीमारों के लिए, पिछड़े इलाकों में रहने वालों के लिए, भूकम्प के सताए लोगों के लिए, बाढ़ से पीड़ित लोगो के लिए उनके पुनर्वास के नाम के ऊपर विदेशों से लाया जाता था उसका प्रयोग क्या किया गया ? उसका प्रयोग राजनैतिक कारणों से किया गया और वह प्यास जो गरीबों की प्यास थी वह न बुझाई जा सकी बल्कि उन रुपयों का सहारा लेकर चन्द मयकदे सजाए गए । आप जानते हैं कि सन् 1974 से लेकर 1977 और 1977 से लेकर 1979 तक इस देश के अन्दर क्या हुआ । समग्र क्रान्ति का नाम लेकर इन आर्गेनाइजेशस के बेनर्स से ऐसी किताबें छपी गईं जिनके अन्दर इस देश के लोगों को गुमराह करने

की कोशशें की गई । इन्कलाबे कुल के नाम पर टोटल रेवोल्यूशन के नाम पर हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे में दिया हुआ लोकतंत्र का जो हमारा ढांचा है उसमें लोगों के विश्वास को डिगाने का प्रयास किया गया । वह लड़ाई जो पार्लियामेंट या संसद के अन्दर जनतांत्रिक तरीके से जनता के मुद्दों पर लड़ी जानी चाहिये वह बिहार की सड़कों पर लड़ी जाने लगी । अलोकतांत्रिक तरीके से विधायकों का घेराव किया जाने लगा और जबरदस्ती उनसे इस्तीफे दिलवाए जाने लगे । किस तरह से भयानक स्थिति आकर खड़ी हुई और वह पैसा जो देश के गरीबों के लिए इस्तेमाल होना चाहिये था वह पैसा निहित स्वार्थी राजनैतिक लोगों ने अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया । यकीनी तौर पर इस रिपोर्ट पर एक्शन लेने में काफी समय लगा लेकिन क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि इसकी मुख्य रूप से वजह यह थी, मैं समझता हूं शायद आप इससे एग्री करेंगे कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की, जितना भी डीप और गहराई में जाने का प्रयास किया गया, वहां गंदगी ही गंदगी निकली । एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, छः साल के अगर मामले होते तो साल दो साल के अन्दर रिपोर्ट आ जाती और हमारे लोगों ने भी यह समझा कि साल छ. महीने के अन्दर मुमकिन हो सकेगा लेकिन सन् 1963 के रिकार्ड को देखा तो उसके अन्दर ग्राम सेवकों को तनख्वाह नहीं बांटी गई । 1972 का रिकार्ड देखा तो मालूम हुआ कि जो पैसा ट्यूबवेलों के लिए दिया गया था किसानों के हित के लिए दिया गया उस पैसे से ट्यूबवेलों को लगाया नहीं गया और उस पैसे को कहीं और डम्प कर दिया गया । किस प्रकार से जो हमारे कार्य अधूरे थे उनको मोडने की कोशिश की गई । आप जानते है कि राष्ट्रपिता जी का नाम किस तरह से इन बेईमानी के कार्यों में लेने का प्रयास किया गया । सर्वोदय के नाम का किस तरह से राजनैतिक प्रयोग किया गया । एवार्ड और एफोर्ड को किस प्रकार का जनता के शोषण का माध्यम बनाया गया । आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जो शोषण सन् 1947 के बाद बिल्कुल बन्द हो जाना चाहिये था और जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी अफसोस तो यह है कि वही लोग इस रिपोर्ट के माध्यम से जनता की अदालत के कटघरे में खड़े हुए दिखाई देते हैं । कहा जता है कि इस रिपोर्ट पर हमने बहुत समय लिया । मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में हमारा राजनैतिक दृष्टिकोण था इसलिए हम ज्यादा समय ले रहे थे ? ज्यादा समय तो इसलिए लग गया कि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले । शाह कमीशन बना, रेड्डी कमीशन बना, मुर्गी और अडों की चोरी का कमीशन बना । यह प्रयास किया गया कि साल छः महीने के अन्दर रिपोर्ट आ जाए और इस देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल की सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया जाए और यहां तक इस देश की जनता इस देश के लोगों ने नारे लगाए जो वामपंथी दल की बात करते हैं जो इस देश मे सामाजिक इन्कलाब की बात करते हैं कि इंदिरा गांधी को फांसी दी जाए । हमने ऐसा नहीं किया हमारी सरकार ने मैं समझता हूं पूर्ण रूप से इस मामले को देखने का प्रयास किया और कुदाल साहब ने जितना भी समय चाहा उनको इसलिए समय दिया गया कि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले । लोकतंत्र के विरोध में प्रचार हमारे संविधान के विरुद्ध प्रचार करना है । हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था को बदलने के लिए प्रचार करना है (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब आप स्पष्टीकरण पर आ जाइये ।

श्री सैयद सिब्ते रजी : स्पष्टीकरण पर ही आ रहा हूं । क्या यह हमारे संविधान के विरुद्ध प्रचार करना नहीं है । हमारे प्रोफेसर साहब चले गये, कल बैठे हुए थे । जब हमारे भाई धर्मपालजी ने जम्मू काश्मीर की बात की तो कहने लगे कि कुदाल कमीशन को जम्मू काश्मीर से क्या

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

लेना देना है । मैं कहना चाहता हूं कि प्रो० लक्ष्मन्ना जी बहुत अच्छे योग्य आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं लेकिन मुझे बड़ी निहायत के साथ, अफसोस और ह्यूमिलिटी के साथ कहना पड़ता है कि प्रोफेसर होने के बावजूद जब वे घर जाते हैं तो एक थर्ड क्लास स्टुडेंट का व्यवहार करते हैं, किताबें खोलकर देखते नहीं । यानी पेज नम्बर एक पर लिखा हुआ है जम्मू काश्मीर का मामला और इस मामले को रेफर किया गया है गवर्नमेंट आफ जम्मू काश्मीर को, फार द फरदर नेसेसरी एक्शन । 59 हजार रुपये के घपले का मामला है । हमारे धर्म पाल जो कल भारत के अंदर जो फारेन मनी इनफ्लो कर रहो है, उसकी जो दुर्व्यवस्था हो रही है, राजनैतिक कारणों से जो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे ।

इस रिपोर्ट के, जो हमारी सातवीं और फाइनल रिपोर्ट है, आखिरी भाग को पढ़ने का प्रयास करें जिसमें आब्जरवेशन्स दिये गये हैं । इसमें दो नम्बर के पैराग्राफ के आखिरी हिस्से में लिखा हुआ है, यह चैप्टर 6 सफा नम्बर 224 है--

"The Commission observed that most of the voluntary organisations, whose affairs were investigated into by it, were in receipt of funds from different foreign funding agencies including some with dubious and doubtful antecedents and sources of their funding. At present no effective provisions exist to check and monitor the receipt and proper utilisation of such funds. Many a times proposals have been sent by the voluntary organisations to the foreign funding agencies painting a very grave, exaggerated and false picture of the country and its people..."

उपसभाध्यक्ष (सत्य प्रकाश मालवीय) : प्रोफेसर साहब आ गये हैं ।

श्री सैयद सिब्ते रजी : प्रोफेसर साहब' जी बड़ी खुशी की बात है कि आप आ गये । आप पैसा लेने के लिए हमारे देश की प्रतिष्ठा, हमारे देश का आदर, हमारे देश की ईज्जत, हमारे देश का वकात.... (व्यवधान)

PROF. C. LAKSHMANNA: Mr. Vice-Chairman, Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Let him conclude.

PROF. C. LAKSHMANNA: Sir, I think, it has not been my misfortune throughout my life to be a a third-class student. I had been always a University-topper, the University of which he must also be proud. And, unfortunately...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): He talks of the House, not of the school.

PROF. C. LAKSHMANNA: Sir, Members, especially when they are talking about anybody else, should restrain themselves and if Members indulge in such sort of...

श्री सैयद सिब्ते रजी : मैं माफी चहता हूं अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो । मेरे कहने का कोई यह मतलब नहीं था कि आप थर्ड क्लास स्टुडेंट रहे हैं । लेकिन आजकल जिस तरह से आप यहां बर्ताव कर रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं उससे पता चलता है कि आप थर्ड क्लास स्टुडेंट्स की हैसियत से घर पहुंचे और किताब खोलकर नहीं देखी... (व्यवधान)

यह कुदाल कमीशन है, यह सिब्ते रजी कमीशन नहीं है... (व्यवधान)

This is Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other organisations, Final Report, 30th January, 1987. And I am referring to Page 224, Chapter 6, General Observations.

श्री कमल मोरारका [राजस्थान] : पूरा कमीशन डिसकस किया जाये ।

श्री सैयद सिब्ते रजी : मैं पूरा कमीशन डिसकस नहीं कर रहा हूं । यदि डिसकस करने का समय आयेगा तो वह भी कर लेंगे, अगर आप मांगेंगे नहीं क्योंकि आप डिसकशन से भागते हैं । अगर आप वादा करें कि आप भागेंगे नहीं... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप उनका पंजाब मत दीजिए, आप अपनी बात कहिए ।

श्री कमल मोरारका : आप व्यक्तिगत गाली गलौज नहीं करें तो कर सकते हैं ।

श्री सैयद सिब्ते रजी : मैंने कोई गाली नहीं बकी है, यदि मैंने कोई गाली बकी हो और ऐसा कोई बात कहीं हो जो आपको बुरी लगी...यानी जिस बात का पूरे फसाने में तसकिरा ही नहीं है वह इनको क्यों बुरी लग रही है ?

श्री कमल मोरारका : थर्ड क्लास स्टुडेंट हैं या फर्स्ट क्लास स्टुडेंट हैं इस झगड़े को छोड़ दिया जाये . . . (व्यवधान)

SHRI SYED SIBTEY RAZI: Then, it says:

"With the Foreign Contribution (Regulation) Act coming into force in 1976, the organisations are required to submit a return along with the audited statement of accounts of the funds received by them from foreign sources but still no machinery exists to evaluate the work done by them and actual utilisation of the funds so received.

Appropriate legislative provisions are, therefore, required to arrest this trend amongst the voluntary organisations. The activities of voluntary organisations which are collaborating with foreign funding agencies with doubtful antecedents are to be checked in particular."

मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या सरकार इस प्रकार का मानीटरिंग का कोई तरीका निकालेगी जिससे इस प्रकार की जो फंडिंग्स होती हैं जिसका मिसयूज होता है, वह न हो । अब क्या किया जाये । फारेन फंडिंग के लिए तो हमारे बहुत से मुख्य मंत्री विदेश जाते हैं । और जो हमारे नान-रेजीडेंट इंडियंस है उनको यहां आमंत्रित करते हैं, पैसा मंगाने की कोशिश करते हैं और एक मुख्य मंत्री जो अब मुख्य मंत्री नहीं हैं हमारे प्रदेश में, उसने तो पता नहीं कितने एकड़ जमीन विदेशी लोगों के हाथ बेच डालने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया । अब ज्यादा बात न की जाए :

इतना न बढ़ा पाकिये दामन की हिकायत,
दामन को जरा देख, जरा बंद कबा देख ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट जो है, यह केवल एक प्रदेश की या दो प्रदेशों की होती, तो कहा जाता ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : बोफोर्स का 64 करोड़ रुपया कहां गया ?.... (व्यवधान)

श्री सैयद सिब्ते रजी : मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा । ...(व्यवधान) तो उत्तर प्रदेश का मामला भी इसमें है, जम्मू-कश्मीर का, उड़ीसा का, नई दिल्ली का, केरल का, बंगाल का, महाराष्ट्र और बिहार का, आंध्र, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का भी इसमें मामला है । तो यह चार आर्गेनाइजेशंस और इनकी सहयोग आर्गेनाइजेशंस जहां गई, वहां उन्होंने घपले किये और इसी के संबंध में यह रिपोर्ट दी गई है ।

अब आप देखिये कि घपले कहां-कहां किये गये । गरीबों को सुविधा देने के लिए जो कार्यक्रम थे, उसमें घपले किये गये । माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे कि उसको क्या डिटेल्ज हैं ? केन्द्रीय समाज कल्याण में जो हमारे कार्यक्रम हैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए,

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

यानी दस महिलाओं को डेरी चलाने के लिए पैसा दिया गया, वह पैसा खा लिया गया। प्रौढ़ शिक्षा, जो हमारे देश के अंदर इस वक्त असंख्य लोग अशिक्षित हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, साक्षर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया गया, वह भी कहीं न कहीं खा लिया।

किसानों को ट्यूबवैल सिंक करने के लिए पैसा दिया गया, वह भी कहीं न कहीं खा लिया गया। अपने घरों में उसे किसी न किसी तरह से इस्तेमाल कर लिया गया।

बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए पुनर्निवास के लिए जो पैसा दिया गया--उन बेचारे पीड़ित लोगों का भी पैसा वह खा गये।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब आप समाप्त करिए। आपको बोलते हुए सोलह मिनट हो गये हैं। आप स्पष्टीकरण पूछिये।

श्री सैयद सिब्ते रजी : मैं स्पष्टीकरण ही चाह रहा हूं कि इन्कम-टैक्स में कहां-कहां उल्लंघन हुए हैं? इस ट्रस्ट के मिसयूज कहां-कहां पर हुए है?

यह खादी ग्रामोद्योग का जो पैसा है, उसके अनुदान और लोन का क्या हुआ?

आप अभी जार्ज फर्नान्डीज साहब की वकालत कर रहे थे। मैं तो नहीं चहता कि मैं किसी के व्यक्तिगत मामले में बोलूं लेकिन अब क्या करूं, मुझे मजबूर किया, जा रहा है। इजराईल से प्लेन आया या यू०एस०ए० से आए, कोई बैठे उसमें, मैं उसमें नहीं जाना चहता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कुदाल आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है और उस पर जो एक्शन लिया है गृह मंत्री जी, उस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं?

उसमें यह कहा गया है। मैं रिपोर्ट का रेफरेंस दे दूं क्योंकि यहां मामला बड़े पढ़े-लिखों का है।

चौथी रिपोर्ट जो है, उसके 22वें नम्बर में कहा गया है —

I am discussing the Fourth Interim Report of the Kudal Commission, Point No. 22. (*Interruptions*). I am consuming the time of my own party.

मैं क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं इसके ऊपर।

It says here: The AVARD procured loans and grants of Rs. 24 lakhs and Rs 37 lakhs from the Khadi and Village Industries Commission for distribution among the artisans in the Parliamentary constituency of Muzaffarpur

कौन था उस समय लोक सभा का मेम्बर--

in the State of Bihar represented by Shri George Fernandes.

भोले राम, भोले प्रसाद क्या कहा जाए इनको जो देश के अंदर बड़े सदाचारी, ब्रह्मचारी, समाजवादी देश के मजदूरों के नेता, दस्तकारों के नेता सनतो-हिरफत में काम करने वाले मजदूरों के नेता बनते हैं... **(व्यवधान)**

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA (Karnataka): Sir, is this the type of clarification that he wants? (*Interruptions*).

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): I want to know whether the hon. Member here is discussing George Fernandes or the rport of the Kudal Commission. Is this the way?

SHRI SYED SIBTEY RAZI: I am discussing the Fourth Interim Report of the Kudal Commission, Point No. 22. I have a right to speak.

इस मामले में माननीय मंत्री जी ने क्या किया है? यह 24 लाख और 37

लाख जो गरीब मजदूरों, दस्तकारों, शिल्पकारों के नाम से जबरदस्ती लिया गया है, खादी बोर्ड के अध्यक्ष को भी मिला कर जो पैसा लिया गया है, वह आखिर गया कहां ? उस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरी बात जरा जो है, अपने गजरे के हरेक फूल की तरीफ सुनी और प्यार मैंने जो जतलाया, तो बुरा मान गये। अब हमारी महिला सदस्य खड़ी हुई--आप देखिये ऐसे तो नहीं चलेगा । जब बोल रहे हैं, तो सुनिये । जब आप बोलते हैं, तो हम चुप थे । जब आप बोले तो हम चुप थे। आप देखिए कुदाल आयोग आया तो हमारे प्रो० साहब बड़े पढ़े-लिखे आदमी अब कुदाल आयोग के साथ क्या लेना-देना है बैंक डीलिंग से क्या लेना देना है स्विस बैंक से, क्या लेना-देना है ब्लैक मनी से, क्या लेना देना है बोफर्स के कमीशन से, अब आपको बोफराइज हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं ।

(*Interruptions*). It is on record. It may not be Bofors.

आपने स्विस बैंक का क्यों उठाया कुदाल कमीशन ने कहीं स्विस बैंक की बात कहीं आई है ?... (**व्यवधान**)

PROF. C. LAKSHMANNA: If Bofors is such a difficulty with you... (*Interruptions*)... if they are so much worned about it.....(Interruptions).

SHRI SYED SIBTEY RAZI: I am not worried; I am challenging your intellect. You are the leader of the intellectuals of the Janata Dal.

PROF. C. LAKSHMANNA: Not Janata Dal.

SHRI SYED SIBTEY RAZI: Sorry, TDP.

वह जनता दल जो है वह कभी नेशनल फ्रंट में चला जाता है और कभी नेशनल फ्रंट जनता दल में आ जाता है और कभी जनता पार्टी जनता दल हो जाता है और कभी जनता दल जनता पार्टी हो जाती है । वह भ्रमित हो चुके हैं और मेरे जैसा आदमी भी भ्रमित हो गया जो आपके साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बहुत दिनों से तो देश का साधारण व्यक्ति क्यों नहीं भ्रमित होगा ? साहब, यह जनता पार्टी और जनता दल में फर्क क्या है जरा समझा दीजिए ? .....(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) उसकी बात मत करिए ।

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : दल और पार्टी में क्या फर्क है ? कोई फर्क है ? अंग्रेजी का नाम हटा दिया और हिन्दी का ले लिया । हिन्दी का नाम हटा दिया, उर्दू का ले लिया । भाई, शराब वही है, देश के लोगों को नशा वही होगा । लेबल बदल देने से शराब नहीं बदल होगी । सन् 1977 से लेकर 1978-79 तक वह जो प्रश्न हुए हैं वह देश के लोग भूले नहीं हैं । मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, भाइयो, दोबारा सत्ता में नहीं आओगे । (**व्यवधान**) अब क्योंकि यह कुदाल कमीशन में ये बातें आ गई हैं इसलिए मैंने यह कह दिया । मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा लेकिन यह कहना चाहूंगा... (**व्यवधान**)

"वह दुनिया थी जहां पर बंद रखी थी जुबां मेरी,
यह महशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्तान मेरी।"

यह देश के करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है, इसमें हमें अपनी बात कहने का हक है । यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो जैसे लोक सभा में छोड़कर चले गए हो, यहां भी चले जाओ ।.... (**व्यवधान**)

कई माननीय सदस्य : बहुत अच्छे, बहुत अच्छे । वाह-वाह ।

श्री सैयद सिब्ते रजी : क्या हुआ भाई, कोई मुशायरा तो हो नहीं रहा। यदि कोई मुशायरा हो रहा हो तो वह-वह करिए। ...(व्यवधान) बुरा तो लगेगा ही जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री यह कह देंगे,

You art limpet to the chair. (*Interruptions*).

तो बुरा तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष : आप कुदाल आयोग पर बोलिए।...(व्यवधान)

श्री सैयद सिब्ते रजी : सुनिए साहब मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा।... (व्यवधान)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: I am on a point of order. Hon. Member is asking Members of the opposition to resign. What right has he got to ask the Members of the opposition to resign from the House? Is there any procedure that an hon. Member can ask opposition Members to resign from the House?

SHRI SYED SIBTEY RAZI: I never asked them to resign. I only said that if you don't like my speech, you can go out. My party has given me the right to speak and I am speaking. If I am speaking anything irrelevant. ...(*Interruptions*)...

अगर मैं कोई इरैलेवेंट बात कह रहा हूं और मैं कुदाल कमीशन के बाहर जा रहा हूं तो आप मुझे जरूर रोक दीजिए यह आपका अधिकार है I am a very disciplined soldier of my party. I abide by the ruling of the Chair. I am not indisciplined lot like them.

PROF. C. LAKSHMANNA: As per the rules of the House, a Member's time is given by the House through the Chairman. Member's time is not given by the party to which he belongs. I would like to know whether the time has been given to him by his party or by the Chairman. I want your ruling because just now we heard that he has been given time by his party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): As a Member. He has been given time as a Member of the House.

SHRI SYED SIBTEY RAZI: I promise, I will not talk about politics now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): You try to conclude. You have already taken 16 minutes.

श्री सैयद सिब्ते रजी : मैं बड़ा ही अनुशासित सदस्य आपके सामने साबित होने का प्रयास करूंगा और माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि कुदाल आयोग के कारण...(व्यवधान)

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): He is concluding.

श्री सैयद सिब्ते रजी : मैं खत्म कर रहा हूं, सर। वह जो कुदाल आयोग की रपट आई है, उसकी वजह से देश की वालंटरी आर्गेनाइजेशन जो है, सामाजिक सेवा करने वाली संस्थाएं जो हैं और जो अपने को स्वयं सेवा संस्थाएं कहती हैं, क्या उनको आगे से राजनीतिक गतिविधियों में इस प्रकार से भाग लेने का मौका मिलता रहेगा? एक तरफ तो वह कहते रहेंगे कि वह स्वयं सेवी हैं, देश के, समाज के जो वेल्यूज हैं, उसका संरक्षण करेंगे तो क्या उनको राजनीति में भी भाग लेने का मौका मिलेगा? यह जो कुदाल आयोग की रपट से सामाजिक संस्थाओं को धक्का पहुंचा है, उनका मोरल डाऊन हुआ है, हजारों-लाखों स्वयं सेवी जो गांवों में सही मायनों में खिदमत करते हैं उनको धक्का पहुंचा है। इस कुदाल आयोग में, जिन लोगों के नाम इसके अंदर आए हैं, जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं का मखौल

उड़ाया है, उनके इस पहुंचे हुए धक्के को किस प्रकार से दूर करने का आप प्रयास करेंगे ?

महोदय, मैं तो कहूंगा कि आज जरूरत इस बात की है कि सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट पर नजर डाली जाय और इस प्रकार की राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करने वाली आर्गेनाइजेशन को अगर किसी प्रकार से उसका रजिस्ट्रेशन हो भी जाय तो उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का अधिकार जो है, वह सोसायटीज के रजिस्ट्रार को सोसायटीय रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोशल सिस्टम है, उसमें जो सामाजिक वालंटरी एजेन्सीज का मखौल उड़ाया नहीं जा सकता और उनकी एक्टिविटीज को इस प्रकार से राजनीतिक नहीं बनाया जा सकता । आज यह जो देश में बहुतसारी हालात हो रहे हैं, इन लोगों की वजह से हो रहे हैं, जो विदेशों पैसा लाते हैं, गरीब लोगों को बांटते हैं और राजनीतिक मुद्दों के लिए उनका प्रयोग करते हैं । खासतौर पर जो धन बाहर से आता है और अपने निजी प्रयोग में लाते हैं, उनकी पूर्णरूप से जांचपड़ताल होनी चाहिए । ...(व्यवधान)...

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : बाहर से धन आता है और सरकार को मालूम नहीं है तो यह सरकार निकम्मी है । इसको एक मिनिट भी रहने का हक नहीं है ।

श्री सैय्यद सिब्ते रजी : मैं सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि बाहर से जो धन आता है, उसका प्रोपर यूटिलाइजेशन हो, क्या इस पर कोई कानून बनाने का सरकार ध्यान दे रही है या सोच रही है ? मैं इस पर गृहमंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहूंगा कि एक आदमी, एक सामाजिक कार्यकर्त्ता जो पचास-पचास आर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा है, लाखों रुपय व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, ऐश-आराम के लिए और सुख सुविधा के लिए गरीबों के नाम पर लेकर उनका शोषण कर रहा है, ऐसे कार्यकर्त्ता को केवल पांच या सात संगठनों तक संपर्क रखने की अनुमति और ज्यादा संगठनों से उनका जो संपर्क है... (व्यवधान)... उसको तोड़ने के लिए कोई कानून लाने का प्रयास क्या सरकार करेगी ?

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और अपनी बात खतम करना चाहूंगा, सिवा इसके, खाली गृहमंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा 226 पर, जो कुदाल आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में दिया है—

"The Gandhi Smarak Nidhi was established to perpetuate the memory, the ideals and philosophy of Mahatma Gandhi. Many great national personalities including Pandit Jawaharlal Nehru were associated with its establishment. The Gandhi Peace Foundation was set up by the Gandhi Smarak Nidhi subsequently for the same purpose. The Commission observed that with the passage of time both these organisations deviated from their basic aims and objects and even associated themselves with disruptive and imperialist forces. As these two organisations are associated with the name of the Father of the Nation, there is need to ensure that they do not indulge in any such activity that may bring bad name to the country and tarnish the image of the Mahatma. Looking into the present mode of functioning of these organisations and the background under which they were set up, the Government should take steps to take over their management."

इसके साथ ही मैं आपसे यह ग्यारहवें पर भी स्पष्टीकरण चाहूंगा—

"The Commission observed that the functioning and management of the

[श्री सैयद सिब्ते रज़ी]

Gandhi National Museum, Rajghat, New Delhi, being run by the Gandhi Smarak Sanghralaya Samiti under the aegis of Gandhi Smarak Nidhi was quite inept. The method of keeping and preserving the relics of the Father of the Nation were far from satisfactory. There have been thefts of relics and due to unscientific methods of preservation irreparable damages have been caused to the relics. There can be no two opinions about the historical and national importance of these relics and the need for their proper preservation for the posterity. The Government should seriously consider the necessity of taking over the management of the Gandhi National Museum, Rajghat, New Delhi."

4 P.M.

"Tht management of four other museums at Madurai, Patna Barrackpore and Bombay should also be taken over by the Government in the national interest."

गांधी हमारी आत्मा, गांधी हमारी रूह, गांधी हमारा आदर्श, गांधी हमारा रास्ता, गांधी अहिंसा, गांधी स्वतंत्रता, गांधी लोकतंत्र, गांधी भारत के बापू उसके देश को बचाने की कोशिश कीजिए, उसके उसूलों को बचाने की कोशिश कीजिए और उसके नाम पर चलने वाली दुकानों को बंद कीजिए। गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद।

श्री कमल मोरारका: गांधी जी के नाम से सबसे बड़ी दुकान तो कांग्रेस पार्टी है।

SHRI M. A. BABY (Kerala): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir, for having permitted me to seek clarifications on the Kudal Commission's report. I am really moved by the way in which my friends on the other side have expressed their concern for certain alleged corrupt practices that have been indulged in by different organisations and institutions. It is really interesting to note that all of a sudden our friends on the other side have become very much concerned about this particular Commission's report which they have not published for many years. Those friends who have brought in some amendments to the Commissions of Inquiry Act, in order to suppress certain inconvenient reports submitted by different Commissions, have all of a suddent worken up and started coming out with some reports submitted by different Commissions have all of a sudden woken enthusiasm but it goes without saying that the concern of my friends on the other side is selective in this kind of matters. I do not want to elaborate it because it is well known to many that the reputation of my hon. colleagues on the other side for bringing out corrupt practices to the knowledge of public is also selective. Act particular point of time they wanted to bring in the Defamation Bill with an idea to suppress facts, corrupt practices indulged in by topmost leadership, from coming out to the knowledge of public. Now, in the report submitted by Thakkar Commission, there too they have suppressed a particular portion which deals with the involvement of external forces. We know that the Kudal Commission mainly deals with the financial assistance that some organisations have accepted for dubious purpose, as has been alleged. If my friends on the other side have been so concerned about such things, why did they not publish or place the particular portion of the Thakkar Commission's report on the Table of the House? Then the argument was that our relationship with certain foreign countries would be affected. Now in this particular case our Government does not feel that. That is why I said that the concern of my friends on the other side is selective. For political convenience my friends on the other side would come out with these reports. One of my hon. colleagues on the other side has referred to the Sixth Report I would like to draw his attention and the attention of the hon. Members on the other side to the Fifth Interim Report. This deals with the dubious role played by the Kerala

Gandhi Smark Nidhi. The Chairman of the Kerala Gandhi Smark Nidhi Janardanan Pillai, wrote a letter to an American agency which used to extend financial assistance with certain political motives. I quote from tht last paragraph on page 205 of the Fifth Interim Report:

"Just now we are faicng a very complicated and taxing situation here. Political violence is mounting. Trade unions affiliated to the ruling Marxist Party are aggressive and exploitative. They just harass people and get what they want. Opposition parties are finding it difficult to function. The police is gradually being made ineffective. Temples and churches are being looted. Unless this trend is arrested, we will have to face very unpleasant situations." It was also mentioned in the said letter that "A Citizens Peace Committee has been set up here, the capital city (i.e. Trivandrum). The responsibility is thrust on me (i.e. Mr. Janardanan Pillai), and I am now the Secretary. Strategies for meeting the situation are to be carefully worked out, the power of the people is to be roused and organised."

This is a letter written by the Chairman of the Kerala Gandhi Smarak Nidhi regarding the situation in Kerala during the period of the Left Democratic Front Government led by Mr. Nayanar. The portion that I have quoted from the Kudal Commission Report sounds just like the campaign that the ruling party at the Centre had been carrying out in Kerala and elsewhere during that period. During that period, what was the allegation against the Government? It was the same allegation that has been briefed in the letter written by the Chairman of the Kerala Gandhi Smarak Nidhi.

After having elaborately gone through the allegations of the Gandhi Smarak Nidhi, Kudal Commission comes out with its formulation. I quote:

"In view of what has been discussed above, the possibility of the Kerala Gandhi Smarak Nidhi having played into the hands of CIA cannot be completed ruled out".

श्री सुकोमल सेन (पश्चिम बंगाल) : क्या उत्तर है आपका ? क्या जवाब होगा इसका ? (व्यवधान)

SHRI M. A. BABY: Then I continue:

"To conclude, there is no hesitation in holding that the Kerala Gandhi Smarak Nidhi by writing the aforesaid letter dated 8th July, 1980 to a foreign donor agency, based in USA (World Neighbours) invited foreign interference into the internal affairs of the country thereby bringing into disrepute the national dignity and honour and tarnished the image of the country abroad by projecting a totally false, distorted and malicious picture of the state of affairs in the State of Kerala. This undoubtedly is an act of treachery on the part of the Kerala Gandhi Smarak Nidhi. It is tragic and highly deplorable that an organisation, whose aims and objects are to propagate the ideals of Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, should have been found indulging in an activity of a highly questionable nature bordering on sedition."

This is the finding of Justice P. D. Kudal. Now please refer to the action taken at page 8; item 28. It says:

"Case dropped. Ministry of Law and CBI opined that no case can be registered."

(Interruptions)

Sir, the point is, in this particular case, the particular dubious outfit has been carrying out simultaneously by the Congress (I) Kerala. The responsibility and task undertaken by the Congress (I) in Kerala during the tenure of the Nayanar Government was to unseat it. Their propaganda was, 'Law an dorder situation is

[Shri M. A. Baby]

chaotic, temples are looted, churches are looted". All such propaganda was carried out by the Congress (I). The same propaganda the Chairman of the Gandhi Smarak Nidhi takes up, and he writes to a foreign agency which, the Kudal Commission says in this Report, has connections with the CIA.

This I discuss, Sir, in the background of our experience in Kerala during 1957-59 when the first elected Ministry was existing there. During that period also the reactionary forces allowed that first Communist Government led by EMS to continue only for two years. That Government did not lose its majority. Nobody could purchase anybody from the ruling Community Party in Kerala. Ultimately that Government was dismissed. In order to dismiss that Government, a so-called liberation struggle was launched. Foreign money poured into Kerala. (*Interruptions*) The so-called leaders who were thrown up during the "liberation struggle", later on admitted, "Foreign money, American dollar, we accepted during the agitation". This has been referred to in the famous book written by Patrick Moynihan, "A Dangerous Place."

Now my question to Mr. Buta Singhji is that this particular organisation, the Gandhi Smarak Nidhi of Kerala which has been referred to in the Kudal Commission Report, has been carrying out the same destabilisation activity that Mr. Buta Singh is carrying out as the Home Minister in many parts of the country, dismissing Opposition governments, destabilishing Opposition governments.

Rs. 63 lakhs this organisation has accepted from abroad, and their intention was to see that this particular Government should not remain there. As a matter of fact, that Government was subverted after two years. How was that Government subverted? Two political parties which supported that Government, the Antony Congress and the Mani Kerala Congress, withdrew their support. I want to know from the Home Minister whether this foreign money has had something to do with these two political parties' withdrawing their support to the Nayanar Ministry. This has to be explained.

I hope that these pointed questions would be replied to by the Home Minister.

Thank you, Sir.

SHRI SUKOMAL SEN: How much CIA money was given to the Congress? He must reply. And how many CIA agents are there in the Congress leadership?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): It has gone to Jammu and Kashmir and Karnataka. (*Interruptions*). You are patronising the CIA people there in Kerala.

SHRI P.K. KUNJACHEN (Kerala): You cannot mention a single communist. Your people are receiving the CIA money.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I shall be brief and to the point in asking my questions.

It is ironic that we are discussing this Report on a day on which Mahatma Gandhi in 1942 had issued the Quit India slogan to the country. And today we are discussing about those organisations which have been founded in his name but those persons who are running these now are being indicted by the Kudal Commission.

As I have said, I will put some pointed questions briefly to the hon. Home Minister and request him to react to them kindly.

This Final Report was presented on the 29th January, 1987. Out of 29 cases, 13 cases are recommended to be dropped and 16 cases are found actionable. Now, in these 16 cases, I would like to know what is the

amount involved. The amount involved in these actionable cases, according to the Statement, is Rs. 1.29 crores. I would like to know the latest position with regard to these cases.

Sir, eleven cases have been referred to the CBI — five cases of the sixth interim report and six cases of the final report — for further investigation and registration of cases. I would like to know pointedly from the Home Minister out of these cases how many have been completed and with regard to how many cases FIR has been lodged.

The second question that I would like to ask is that after the receipt of the final report, have the present funds of these organisations been frozen? If they have been frozen, what is the present management structure of these organisation? And if nothing has been done, what steps the Government proposes to take with regard to the management of these organisations?

Now, I would like to make my final point. My friend Mr. Sibtey Razi has also stated in reply to my friend, Prof. Lakshmanna, about how foreign money has been coming. With regard to foreign money coming, now a law is already on the Statute Book, but a new practice has been devised. That is that now there is a Hawala racket. I have come to know that they are not receiving foreign money directly through some bank medium, but the sender gives it to somebody there and that somebody delivers that money to these organisations overhere. How is the government going to counteract such remittances and react to this Hawala racket money that is coming to destabilise our country?

These are the pointed questions and I would like the hon. Minister to react.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Fortyseven years before, on this historic day, Mahatma Gandhi gave a call to the nation "Quit India".

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): In your State at Bombay.

SHRI JAGESH DESAI: Yes, at Bombay. Members like you, Gurupadaswamy and many others are the product of that movement and I am proud of them. But why we wanted freedom in this country? Mahatma Ji had made it very clear that Swaraj is meant for bringing those poor people to a level where they can live. We want to wipe out the tears of millions of pople, who cannot get one-time meal. Mahatma Ji also said, when you take any action you should have always before your eyes the portrait of the most poor man and see whether your action will benefit him or not. I am a firm believer of socialism. But to me socialism means not only in theory, but we have also to see that all the actions that we take and all the programmes that we have, will help wipe out the tears of the poorest man in this country. That was the motto of Mahatma Ji. I am pained after reading the report of the Kudal Commission that those who wanted to take up this noble cause did not spend the money for the purpose for which it was meant and instead they diverted the funds for some other purposes. I think that the whole House will agree with me that those who have indulged in such things, the money which was meant for providing relief to the poor people, if that money is diverted for other purposes both political and for destabilising the country, it has to be condemned with one voice.

AN HON. MEMBER: By all the political parties.

SHRI JAGESH DESAI: Yes, by all the political parties. I was talking, Sir, wherever corruption is there, it has to be rooted out. I feel that we in this House and all my friends in the Opposition also should take this report in that light. I do not want to bring in politics into this debate but I do feel very strongly that if such sums which are meant for the poor people are diverted for political purposes it has to be condemned. It must go to the people for which those funds are meant. I will give only some illustrations and I would like to have clarifications from the Home Minister. I would like to preface this by mentioning why this Commission was appointed. I quote from the statement of the Home Minister:

> "The Lok Sabha passed a Resolution on 28th August, 1981, recommending that any action to tarnish the name of Mahatma Gandhi be taken serious note of and that the acts and activities including publications, sources and misuse of funds of the Gandhi Peace Foundation, Gandhi Smarak Nidhi and All India Sarva Seva Sangh be inquired into by a Commission Inquiry."

This report is the result of that Resolution passed by the Lok Sabha because we do not want to tarnish the image of Mahatma Gandhi who was the Father of the Nation, who did everything in his life for independence of the country and upliftment of the poor people. I am sorry to say that those who talk in the name of Mahatma Gandhi, they themselves encourage such things and tarnish the image of Mahatma Gandhi. No country man will tolerate this kind of atcion by any person, however high he may be . This must be condemned fully. Sir, I will give some examples. I would like to know the reaction of the Home Minister. I would like to take only a very few examples and I will do my duty. Sir, Rs 12 lakhs were received from foreign countries for the purpose of giving relief. It was a charitable trust. Sir, as you know, I know something about taxation. The amounts which have been donated to a public trust have to be spent for the purpose for which it has been provided and for the aims and objectives of that trust and no funds can be diverted. It is allowed only when the amount is not spent in that year . Then, they have to put that money in the security deposit according to the Act. Rs. 12 lakhs have been given to this AVARD and that amount was transfered to some other trust. The amount was not spent for the purpoe for which it was meant. It was for the purpose of relief and that was not done. I would like to know from the hon. Minister whether the case of the trust will be reopened. I would also like to know whether Rs. 122 lakhs as fixed deposit which has been transferred will again be looked into and they will be charged income tax, penalty and interest for so many years for which they have done. I would like to know the answer from the hon. Minister.

Similarly, Sir, about Rs. 24.37 lakhs were given by way of loan and grant by the Khadi and Village Industries Commission for disbursement to the artisans in Muzaffarpur parliamentary constituency which at that time happened to be the constituency of Mr. George Fernandes, the then Minister of Industry. Sir as we all know, the Khadi Village Industries Commission, is under the Ministry of Industry. When they had given this loan and grant, there were terms and conditions that for such a purpose, it has to be spent. It was to be given to the artisans of that constituency. But that fund was not spent fully for that purpose. A part of that fund was diverted and given for the purpose of Bodh Gaya Satyagrah. It was given to *Chhatra Parishad* and that amount was spent for that purpose which was not the purpose for which it was given. So, I would like to know from the hon.

[Shri Jagesh Desai]

Minister whether any action has been taken against all those persons who have diverted this fund for that purpose and if the money which was meant for poor artisans has been spent for some other purpose, then it appears that it is a case where this amount has been misappropriated and the purpose, that is the upliftment of the poor people for which it was meant has not been fulfilled. I would like to know the reaction of the hon. Minister about this.

Then, there is another very classical example. Sir, 13.3 acres of land worth Rs. 12 lakhs was fraudulently transferred for a paltry sum of Rs. 3,000 only. This is a case where there is undervaluation of the assets. I have not got the full details with me. But this is a case where they have not bothered about the capital gains tax. I would like to know from the Minister if the value of the land was Rs. 12 lakhs and if it was transferred for Rs. 3,000 only, how much revenue has been lost to the Government. If this land was transferred for Rs. 3,000, then there may be some other reasons which, as a decent Member of this House, I would not like to point out. There may be some underhand dealings and as such, I would like to know from the hon Minister whether he would probe this case in detail and would enlighten us about the same. I have found that there are some bank accounts. They are not in the books of AVARD and AFFORD. They are outside them. In Delhi, in the Syndicate Bank, an account is opened and that does not find place in the account books of these Nidhis. I would like to tell the hon. Minister that there is not only one account in the Syndicate Bank, there may be others. I would like to know from where they got these funds. Again, they have withdrawn these funds from these accounts. For what purpose, they have utilised this fund? I think, this has also been used for purposes other than for which it had been allotted. It may be for some political purpose. I would request the Home Minister that a through enquiry may be done in this matter. You have to instruct all the banks whether there were such accounts in respect of three or four organisations whose names have been given in the report and also to find out whether some more accounts are also there and if so, how that money has been received, from whom it has been received and for what purpose it has been spent.

About bank accounts, I have already mentioned. They have transferred 13.3 acres of land for a paltry sum. This was all done in the name of a great man, Mahatma Gandhi, who was the man who wanted to uplift the people. If his followers have done these things, then it has to be condemned. Now, all this foreign money that comes, I think, now, they cannot bring it without the permission of the Government—at that time, I would like to know whether this kind of directions were given that if foreign money was coming, it was cleared by the Government. I am happy that now the Government has realised and this Government in 1985 decided that all foreign donations which come in this country must be through the Reserve Bank of India and it has to be cleared by the Central Government so that an account can be taken. Many of the cases have been dropped. I think that again the Government should look into these things because this is not a question of Rs. 9 crore or so, but this is a question of the integrity and the honesty of this country. If in foreign countries also, by giving false affidavit and false representation they get money and if that money is utilised for purposes other than it is given for, then the country's image is lowered. I think that the Government must make a full inquiry into this and must come out with full details. I have just given samples because this is only

[Shri Jagesh Desai]

clarification. I feel a full discussion should be there on this report so that we can definitely bring forth our views and see that these things do not happen in future. We can give our suggestions then. With these words, I would lige the hon. Minister to give clarifications on the points which I have raised.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Now, the last participant, Shri Kailash Pati Mishra. Thereafter, Mr. Buta Singh will reply.

श्री कैलाशपति मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, सात वर्ष का समय लगा कर भारत सरकार ने रिपोर्ट तैयार की है। विदेशी पैसे का भारत में उपयोग, दुरुपयोग इसका इस रिपोर्ट के अन्दर उल्लेख है। कुल राशि कितने की है पांच सवा पांच करोड़ की। दो दिनों से इसके ऊपर सदन के अन्दर बहस चल रही है। आज 9 अगस्त के दिन की एक माननीय सदस्य ने याद दिलाई। बरबस मेरे मास्तिक पर भी 9 अगस्त चढ़ गया 1942 का 9 अगस्त का दिन मुझे याद है। मैं हाई स्कूल का छात्र था। स्कूल के गेट के ऊपर अंग्रेजी शासन से संघर्ष करते हुए पहली हथकड़ी मेरे हाथ में लगी और कमर में रस्सा लग गया। नौजवानों के विद्यार्थियों के अन्तःकरण में आग जल रही थी और आजाद भारत स्वतन्त्र भारत देखने की कल्पना का दिमाग पर सपना दिखाई दे रहा था। 42 वर्षों की आजादी ले कर हम आजाद खड़े हो गये। आज आंख खोल कर देखने के बाद लगता है कि ब्रिटिशर्ज तो यहां से चले गये लेकिन भारत की आजादी भारत का स्वाभिमान एक ओर से नहीं कई ओर से बाधित हो रहा है, इसके ऊपर बड़े-बड़े हमले हो रहे हैं। मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। सब से पहली बात तो यह है कि क्या भारत सरकार आज इस स्थिति में है कि वह घोषित कर सके बता सके कि देश के अन्दर विदेशी खेल खेलने के लिए आज इस देश की सीमा के ऊपर विदेशी धनराशि कितनी आ रही है? यह कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि देश के अन्दर देश में अराष्ट्रीयता का प्रचार करने के लिए भारत की आजादी को चोट पहुंचाने के लिए आज नहीं तो कल भारत गुलाम बन जाए इसके लिए जो विदेशों से धनराशि आ रही है वह सैकड़ों, हजारों या लाखों में नहीं है हर वर्ष अरबों रुपये भारत में आ रहे हैं। यह धनराशि गल्फ कंट्रीज और पश्चिमी क्रिश्चियन वर्ल्ड से आ रही है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए।]

यह राशि किस काम में लग रही है? भारत की गरीबी को समाप्त करने के लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान को जगाने के लिए नहीं, भारत के आर्थिक उत्थान के लिए नहीं लग रही है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था उस सपने को चकनाकूर करने के लिए देश के अन्दर चारों तरफ से प्रचुर मात्रा में धनराशि आ रही है। यहां स्वराष्ट्र मन्त्री जी बैठे हुए हैं मैं उन से यह आग्रह करूंगा कि आप केवल बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना का एक बार सर्वेक्षण कराए और यह देखें कि कितना विदेशी धन वहां पर काम कर रहा है, कितने प्रकार के षड्यन्त्र वहां पर पनप रहे हैं, देश की सीमाओं पर पनप रहे हैं चाहे मिजोरम हो या नागालैंड हो पूरा पूर्व-उत्तर भारत सर्वत्र ऐसा लग रहा है कि देश के ऊपर बड़ा भारी हमला हो रहा है। सचमुच में इस पहलू के ऊपर अगर न्याय करना था तो सरकार के अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए थी, एक साहस होना चाहिए था कि आगे वाला बदेशी धन किन किन रास्तों से किन किन स्त्रोतों से और कहां कहां पर किस रूप में फैल रहा है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के अंदर यह बैचेनी नहीं पैदा होती है, वेदना नहीं पैदा होती

है कि आने वाला विदेशी धन अगर देश के अंदर घुसता भी है तो वह सीधे सरकारी माध्यम से हो जाये। कोई अगर कहता है कि स्कूल खोलने के लिए धन ले रहे हैं, अस्पताल चलाने के लिए ले रहे हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए ला रहे हैं तो आने वाले धन सरकार की आंखों से ओझल होकर नहीं आना चाहिए। एक पैसा भी विदेशी सहायता कहीं से आती है और किसी के लिए भी आती है तो इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए, सरकार की इसके लिए अनुमति होनी चाहिए, सरकार की इस पर स्वीकृति होनी चाहिए और ऐसे आने वाले धन की मानीटरिंग भी सी. एण्ड ए. जी० को करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उस धन के उपयोग पर भी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार क्यों आंखें बंद करके अभी तक बैठी हुई है। इसी सदन के अंदर एक बार नहीं दर्जनों बार इसके ऊपर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इस पर बहस हो चुकी है।

भारतीय नागरिक भारत में पैसा कमाते हैं, भारत में काम करके कमाते हैं। पैसा जमा कहां है? विदेशी बैंकों, स्विस बकों में और पता नहीं दुनिया के कितने दर्जनों बैंकों में। शायद अगर भूलता नहीं तो वह मेरा ही प्रश्न था कि भारत सरकार के पास यह आंकड़ा है कि नहीं, अगर है तो जरा बताये कि भारतीय नागरिकों का भारत में कमाया हुआ पैसा विदेशों में कितना जमा है और मैं कहना चाहता हूं कि वह राशि 30 हजार करोड़ के करीब है...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude now.

श्री कैलाश पति मिश्र : मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं अंतिम वक्ता हूं इसलिए थोड़ी देर बोलने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष : आप क्लैरीफिकेशन पूछिए।

श्री कैलाश पति मिश्र: उसी से लगा हुआ है। भारत सरकार उस राशि को बताये और उस राशि का देश के हित में उपयोग करने के लिए और प्राप्त करने के लिए कौन सा काम कर रही है? आपने आज तक इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया।

माननीय बूटा सिंह जी के बगल में एक इसी सदन के माननीय सदस्य बैठे हुए थे श्री रामेश्वर ठाकुर। मुझे अफसोस है कि वे चले गये, इस समय नहीं है। मैं उनसे आग्रह करता। श्री रामेश्वर जी इस कुदाल कमीशन की रिपोर्ट पर जरा आप बोलिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1977 में मैं बिहार सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर था। एक दिन श्री रामेश्वर ठाकुर जी मेरे पास आये और कहने लगे कि एक स्कीम देखने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। मेरी भी उत्सुकता थी कि कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं जरा देखा तो जाये। संथाल परगने के अंदर एक नाले के ऊपर बांध बांधना, उससे सिंचाई का उपयोग करना, यह दिखाने ले गये। दिखाने के बाद मैंने पूछा कि इसको किसने बनवाया? तो कहा कि एक विदेशी संस्था ने बनवाया है। कौन सी विदेशी संस्था है? जर्मनी की विदेशी संस्था है। मैंने कहा कि भारत सरकार का इस पर कोई नियंत्रण है? कहा कि कोई नियंत्रण नहीं है। भारत सरकार को इसका पता है। इसका भी पता नहीं है। इस काम के नाम पर कितना आया, भारत सरकार को पता है कहीं इसका संबंध नहीं है।

शायद अगर भूलता नहीं हूं तो जिन संस्थाओं का उल्लेख है इनमें एक्टिव वर्कर के नाते श्री रामेश्वर ठाकुर उन दिनों काम कर रहे थे। इसलिए कहा कि वे रहते और उनको बोलने के लिए मैं भी आग्रह करता तो जरा चीजों की

[श्री कैलाश पति मिश्र]

जानकारी और होती। अब जहां... (व्यवधान) गल्फ कंट्रीज हैं, 14 अरब प्रति वर्ष भारत में पैसा आ रहा है, पश्चिमी देशों से लगभग 18-20 अरब प्रति वर्ष पैसा आ रहा है और कहीं सरकार के पास उस पैसे का कोई हिसाब नहीं। अगर इन सब चीजों पर आप पर्दा डालते रहेंगे और सात वर्ष के बाद चुनाव के अवसर के ऊपर खोदा पहाड़ और निकली चुहिया--कुछ नामों को घसीटने के लिए लायेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं स्व-राष्ट्र मंत्री जी--हिंदी में एक कहावत है, याद रखिये--बूंद जो गई वह हौज से लौट कर नहीं आती है।

सी० ए० जी० की रिपोर्ट, बोफोर्स के अंदर का स्विस बैंक में कमीशन जमा--इससे जो भारत की अस्मिता, भारत के स्वाभिमान पर चोट लगी है, उस चोट को जार्ज फर्नांडीज और दो-चार लोगों को बदनामी में घसीटने की कोशिश करके आप उस पाप को धो नहीं सकते हैं और देश के मानस में से आपके प्रति जो एक शंका प्रकट हो गई है, वह भी आप मिटा नहीं सकते।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य लग रहा है, कई सदस्य उठ कर के कहते हैं, लोक सभा में आपने इस्तीफा दे दिया, राज्य सभा से क्यों नहीं देते हैं?

जरा सड़क पर जाकर साधारण आदमी से पूछिये, आपके इस आचरण का उसके ऊपर क्या असर हो रहा है? मजाक हो रहा है, हंसी हो रही है और लोग कहते हैं कि क्या हो गया है इनका दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया है? राज्य सभा से ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): आप तो बहुत सीनियर सदस्य हैं, इसके साथ क्या ताल्लुक है, बताइये? ... (व्यवधान)

श्री कैलाश पति मिश्र: कान रखिये सदैव कभी न सरकार कमजोर और बिगड़ती नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): इसका कोई ताल्लुक है ... (व्यवधान)

श्री कैलाश पति मिश्र: जरा बोलने दीजिए। विरोधी पक्ष भी अगर राज्य सभा में बहुमत में रहे, तो सरकार को पलट नहीं सकता। फिर लोक सभा एक बार भंग होती है, लोक सभा का एक बार चुनाव होता है। राज्य सभा कभी एक बार भंग होती है और कब राज्य सभा का एक बार चुनाव होता है?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री कैलाश पति मिश्र: जहां विरोधी दल के सांसद सदस्यों ने एक साथ प्रधान मंत्री के त्याग-पत्र की मांग की है और प्रधान मंत्री ने... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please come back to the subject matter. You are going beyond that.

श्री कैलाश पति मिश्र: प्रधान मंत्री ने अगर त्याग-पत्र नहीं दिया, तो शासन के सिर के ऊपर बैठें। व्यक्ति के बारे में अगर आरोप लग गया है, वह भ्रष्टाचार के घेरे में, बादल के अंदर आ गया है, तो लोक सभा के विरोधी दल के सांसद सदस्यों ने एक साथ त्याग-पत्र दिया, बहुत बड़ा बलिदान, त्याग किया है और उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है।

इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने प्रश्न खड़ा किया है, स्व-राष्ट्र मंत्री उसका उत्तर दें।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, from yesterday I have been listening to the discussions on the Kudal Commission's Reports and I want to seek only two clarifications from the honourable Home Minister.

Sir, the Commission has categorically come out with the information that the institutions mentioned, who are the recipients of Government money as well as foreign money, have

either misutilized them or misappropriated them or not properly utilised them and many institutions have committed criminal breach of trust also. The Action Taken Report says that some of the cases, even though there is a *prima facie* case, have been dropped because there is no proper evidence and some cases cannot be proved. I do not understand which hand or which forceful hand is in the way of derecognising all these institutions. First of all, will the Home Minister assure this House and this country that all these institutions which have been indulging in these things, even if a *prima facie* case is established will be derecognised and their registration will be cancelled? The country and this House, after the discussion on these Reports will only expect this sort of an assurance from the Home Minister.

Secondly, it is not a question of everybody calling himself a Gandhi or a Harish Chandra and getting away with all these nonsensical things in the institutions which they head. Therefore, wherever there are cases and wherever there are persons involved in such cases, will the Home Minister assure this House and this country that prosecutions will be launched? If they are Harish Chandras, let them come out and get acquitted by the courts. I want these two categorical assurances from the Home Minister. Thank You.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradssh): Sir, on a point of order. While speaking on the findings of the Kudal Commission yesterday Mr. P. N. Sukul mentioned the name of Mr. George Fernandes and some others. I objected to this and said that since Mr. George Fernandes is not a Member of this House and he is not in a position to defend himself, this should not form part of the record. Mr. Sukul said—I quote:

"...For example, Prof. Madhu Dandavate. His name is there. How could his name be there? I could never imagine. But about George Fernandes, I could very well imagine because, when he was the Industry Minister, I have personnal knowledge, first-hand information, as to who gave him money, from the J.K. group, from the Swadeshi group, both of Kanpur—lakhs of rupees..."

Immediately I myself and Mr. Maheswarappa raised objection to this. Now, I would like to draw your attention to Rule 261:

"261. EXPUNCTION OF WORDS FROM PROCEEDINGS—If the Chairman is of opinion that a word or words has or have been used to debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the Council.".

My point is that the remarks which have been made by Mr. Sukul do not concern the recommendations or the findings of the Kudal Commission. He has just imputed certain personal knowledge. Mr. George Fernandes is not in a position to defend himself.

I therefore, request that under rule 261 these 5 or 6 names should be expunged.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): As regards this, I will bring this to the notice of the Chairman because this happened yesterday. I will bring this to his notice, and he will take decision on this. Now, the Home Minister.

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : वाइस चेयरमैन साहब, सब से पहले मैं अपने आपको उन भावनाओं के साथ सम्मिलित करना चाहता हूं जो आदरणीय मैम्बरान साहिबान सिन्हे रजी साहब ने, आपने और श्री

[श्री बूटा सिंह]

कैलाश पति मिश्र जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने आज के एतिहासिक दिन के ऊपर व्यक्त की है। आज का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का दिन है और एक उस राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी के प्रति अपने आपको समर्पित करने का दिन है जिनकी कृपा से हम बंदी लोग आजाद हुए और भारत वर्ष का एक अस्तित्व पूरे विश्व में प्रगट हुआ। आज हम उनकी याद में एक स्वतंत्र भारत की उच्चतम राज्य सभा में बड़े फख्र के साथ अपनी गर्दन ऊंची करके एक आजाद भारतीय के नाते अपने देश की किस्मत का फैसला करने वालों में शामिल हुए हैं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिए हुए आह्वान पर देश के हजारों नौजवानों ने शहीदियां हासिल कीं, लाखों ने अपना जीव जेल में बसर किया और न जाने कितने ऐसे परिवार हैंजिनको दुर्भाग्यवश आजादी के इस दौर में जो अपने आपको बलिदान देकर आज हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी आज का दिन है। आज के दिन हम एक मुद्दे के ऊपर यहां चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम पूज्य राष्ट्रपिता जी के नाम की संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा किसी का मतलब यह नहीं है कि उन सस्थाओं को या उनके जो ऊंचे आदर्श जिनके ऊपर वे सस्थाए बनीं थीं किसी तरह से भी उनके ऊपर टिप्पणी करने का या किसी तरह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें जिससे कि उन सस्थाओं को लाछन लगे। परन्तु यह जो कार्यवाही कुदाल आयोग के जरिए देश के सामने आई है इससे यह पता चलता है कि यदि इंसान अपने आदर्श की ओर रास्ता भूलकर स्वार्थ की ओर चला जाए तो कहां तक गिर सकता है।

वह उन्हीं आदर्शों को, जिनकी लेकर यह संस्थान कायम किए गए, न केवल उनको तिलांजलि दे गए बल्कि उनके विपरीत जो चीजें देश के लिए हानिकारक हो सकती है, जिन गतिविधियों के साथ देश की आजादी खतरे में पड़ सकती है, पड़ी है, उन रास्तों को उन्होंने अपनाया और उन्हीं विदेशी शक्तियों से धनराशि ली, जो शक्तियां हमारे देश की संप्रभुसत्ता देख नहीं पा रही है। हमारे देश को बनती हुई शक्ति को देखकर जिनके दिल में रोष होता है और जो चाहते हैं कि भारतवर्ष जैसा एक महान देश क्यों आजाद है, क्यों आजादी, इसका लोकतंत्र बहाल है, उन्हीं शक्तियों के हाथों में जाने अनजाने वह विभूतियां, जिनका नाम इन संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ है; दुर्भाग्यवश बहुत से लोग विपक्ष में हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं। मगर आज जब उनका उल्लेख आया है तो इसको हम एक राजनीतिक मुद्दा बनाए, उसको मैं ठीक नहीं मानता और न ही यह हमारा आदेश था, जब हम इस सदन में लेकर आए थे इस आयोग को रिपोर्ट को। हमारे मान्यवर सदस्यों ने, तकरीबन तकरीबन सभी मान्यवर सदस्यों ने विपक्ष की ओर से इस चीज को बार-बार मेरे ऊपर फैंका कि हमने इस रिपोर्ट को टाइप करके इस सदन में लाया है।

श्रीमन्, मैं आपके सामने थोड़े से शब्दों में व्याख्या करूंगा कि रिपोर्ट क्यों इतनी देर में आई, क्यों विलम्ब हुआ? यह स्वाभाविक है और होना चाहिए, मान्यवर सदस्यों ने प्रश्न पूछा है, बड़ा जरूरी प्रश्न है कि यह सन् 1982 में कायम हुआ था, आज 1989 आ गया; सात साल क्यों लगे? कल गुरुपदस्वामी जी ने हमारे न्यायमूर्ति जी का पूरा सफरनामा पढ़कर सुना दिया। मैं नहीं मानता कि यदि किसी कमीशन की रिपोर्ट में छपा हुआ मामला हमें अच्छा नहीं लगे तो हम उस कमीशन की पगडी उतारें, बजाय इसके कि उस मामले की जांच करें कि सही है या नहीं? .....(व्यवधान).....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: यह भी इससे संबंधित थे।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): He was an interested party. He was himself the head of the Gandhi Peace Foundation in Rajasthan once. Its office was held in his house.

श्री बूटा सिंह: और वह भी विपक्ष के नेता इस स्तर पर नीचे उतरे कि उसकी सारी जीवन कहानी बताई गई और कहा गया कि वह कांग्रेस पार्टी में उस वक्त कहां थे, जब विभाजन हुआ 1969 में? श्रीमन् अगर मुझे कहा जाय कि मैं उन चेहरों को पहचानूं कि 1969 के विभाजन के वक्त के कांग्रेसी आज कहां है, तो शायद मुझे कब्रिस्तान जाना पड़े। श्रद्धेय श्री बाबू जगजीवन राम जी सबसे अग्रसर हमारे साथ खड़े होकर लड़े थे। अगर गुरुपदस्वामी जी भूल नहीं गए तो, उन्होंने चुनौती दी थी, जिसको आप अपनी कांग्रेस मान थे, उसको और हमारे साथ खड़े हो कर हमारे अगुवा बनकर, हमारे नेता बनकर, कांग्रेस अध्यक्ष होकर उन्होंने उसको चुनौती दी थी। आखिर मैं वह कहां चले गए? गुरुपदस्वामी जी उनके पांव पड़े, जब वह जनता पार्टी में गए थे। गुरुपदस्वामी जी के मायने पर्सनली नहीं, बल्कि मायने यह दल। ....(व्यवधान)....

तो इस तरह की बातों में आज जाने का मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आओ, हम देखें पहले तो यह कि कुदाल कमीशन को सात साल क्यों लगे? श्रीमन्, कुदाल कमीशन को जन्म से ही अपंग करने की कोशिश की गई। इसकी आखिरी बातें मैं पढ़ता हूं, जब उन्होंने रिपोर्ट फाइनल पेश की, तो उन्होंने अपनी व्यथा कैसे बताई? उन्होंने कहा—

"The Commission gave its findings in 180 cases which it fully investigated. Two hundred cases were incomplete when the Commission was wound up, although partial investigation had been done in these cases. They also included cases numbering more than 50 which were pending in different High Courts."

अब आप इस आयोग से क्या उम्मीद करें, जिसकी वन-हाफ कार्यवाही जो है, वह डिफरेंट हाईकोर्टस में टांगी जाये और फिर उसको कहा जाये कि तुम रिपोर्ट तैयार करो। मैं पूछना चाहता हूं उन विभूतियों से, जिनके बारे में जांच हो रही थी, खिलाफ तो नहीं क्योंकि कमीशन खिलाफ जांच कर ही नहीं सकता। कमीशन का काम है फैक्टस निकाले और आगे रखे, खिलाफ या पक्ष में काम करना, वह सरकार का है। कमीशन का काम यह नहीं है, कमीशन का काम तो, महोदय, अगर समझता हूं कमीशन आफ इन्क्वायरी का अर्थ तो खाली यह है कि सच को निकाले और सामने पेश कर दे। उसके ऊपर क्या कार्यवाही करनी है, वह इस सदन का, गवर्नमेंट का काम है। उसको प्रोसीक्यूट करना है या उसको छोड़ना है या उसमें कितना सच है, उसमें कितनी और जांच करने की जरूरत है, इन्वस्टीगेशन फरदर करने की जरूरत है, यह सरकार का काम है, कमीशन का काम नहीं है।

इसलिए मैं इस भ्रम से मुक्त करना चाहता हूं गुरुपदस्वामी जी और उनके साथियों को कि कुदाल कमीशन ने किसी के अरेस्ट जांच नहीं की है। कुदाल कमीशन की जो टर्म्स आफ रिफरेंस थीं, वह इतनी थीं कि यह जो संस्थान हैं, इनके हिसाब-किताब और इनकी कार्यवाहियों की वह जांच कर के बताए कि इनके पैसे का ठीक इस्तेमाल किया है या नहीं? वह उन्होंने जांच कर सामने रखा है। अब 180 केसेज जिनके बारे में कमीशन की रिपोर्ट है, उनको हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन के सामने पेश की और उसमें से जो केसेज फर्दर इन्वस्टीगेशन हो रहे हैं उनका जिक्र किया। जिन केसेज में हमने देखा कि केसेज की जो सर्कमस्टेंसेस थीं वह लोप हो चुकी हैं, रिकार्डस नहीं मिलता, जिनके साथ व्यवहार किया था वह आदमी भर चुके हैं, एविडेंस नहीं हो सकता है, ला मिनिस्ट्री का ओपिनियन है कि इसमें अगर हम चाहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे--उनको ड्राप किया गया। अभी हमारे माननीय सदस्य बेबी साहब कह रहे थे कि ड्राप? अरे भाई ड्राप करने पड़ते हैं जब एविडेंस नहीं मिले, सर्कमस्टेंसेस बदल जाएं, डाकुमेंटस उपलब्ध न हों। तो आप क्या करेंगे उनको? बेशक उनमें तथ्य हैं, लेकिन वह तथ्य इतने मौजूद नहीं हैं कि हम उसे कचहरी में ले

[श्री बूटा सिंह]

जा सकें इसलिए उन केसेज को ड्राप करना पड़ा । श्रीमन, मैं अभी इसी मुद्दे पर हूं कि कमीशन को 7 साल क्यों लगे ? जैसाकि मैंने शुरू में कहा था कि 50 केस उस वक्त भी कमीशन में चल रहे थे जब कमीशन ने अपनी फायनल रिपोर्ट सदन के सामने पेश की । 50 केसेज डिफरेंट हाईकोर्टस में चल रहे थे तो आप कुदाल साहब को कैसे उम्मीद करते थे कि 6 महीने में वह अपना दफ्तर वाइड अप कर देते और बड़े-बड़े संदर-सुंदर सर्टिफिकेट इन विभूतियों के बारे में—जार्ज फर्नांडिस के बारे में, राधाकिशन जी के बारे में, मधु जी के बारे में--इनके बारे में रिपोर्ट देते कि मुझे तो 6 महीने में काम करना था, मुझे कुछ मिला नहीं । यह लीजिए । जब फायनल रिपोर्ट उन्होंने हमारे सामने पेश की तो उस वक्त 50 केस उसके पास थे । इससे पहले बाकायदा कमीशन को कोर्ट के स्टे आर्डर थे । कल अनंत सिंह साहब ने पूछा था । केरल कोर्ट का स्टे आर्डर उनको मिला था । 12 दिसम्बर, 1986 को और वैकेट हुआ था 4 अगस्त, 1987 को। बाकायदा स्टे आर्डर थे कि आप हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि हाईकोर्ट आपको इजाजत नहीं देती । तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वह कमीशन अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में दे देता या एक्सटेंडेड टाइम में, जब तक कि कमीशन के सामने दिया हुआ मुद्दा कचहरियों से मुक्त नहीं होता, कमीशन उनकी जांच नहीं कर लेता, वह अपनी रिपोर्ट कैसे दे सकता था ? कमीशन को 5 साल, साढ़े 5 साल, 6 साल तो इसी में लग गए । महोदय यह भी बड़े संदर्भ की बात है, बड़े इतफाक की बात है कि गुरुपदस्वामी जी, जिस श्रीमान या जिस महोदय के नाम से यह रिजोल्यूशन मूव हुआ था वह आज कांग्रेस में नहीं है । वह आज जनता दल में हैं । इसलिए जो प्रस्ताव पास हुआ था जिससे कि यह कमीशन बना था, उस प्रस्ताव का जो मूवर था वह आज जनता दल में बैठा हुआ है । आप हम को कैसे लांछन लगा सकते हैं । कवि उसी भाषा से मैं आपको कह दूं कि यह जो कमीशन ही जनता दल के एक आदमी ने बनाया था तो आप मानेंगे इस बात को ?

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: He was a Congressman at that time.

श्री बूटा सिंह : उपेन्द्र जी यही मेरा कहना है, न जाने कल ये कांग्रेस में आ जाए, आप कांग्रेस में आ जाए.... व्यवधान)

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Don't hope for that.

श्री बूटा सिंह : मैं होप तो नहीं करता हूं । मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता । मैं तो ऐसा फर्ज करता हूं ।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: After the next elections, there should not be any Congress.

श्री बूटा सिंह : ऐसे अपॉर्चुनिस्ट्स के लिए कोई जगह ही नहीं है ।

(Interruptions)

5.00 P.M.

श्रीमन् इस तरह से जब कमीशन की सारी रिपोर्टस हमारे सामने आई, यह कमीशन की रिपोर्टस केवल भारत सरकार के ही विभागों से सम्बंध नहीं रखती है, कई राज्यों के साथ इसका सम्बंध है । केरल गवर्नमेंट के साथ सम्बंध है, बिहार गवर्नमेंट के साथ सम्बंध है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ सम्बंध है, गुजरात सरकार के साथ सम्बंध है, महाराष्ट्र में इसका सम्बंध है और जहां-जहां पर इन संगठनों की गतिविधियां रहीं और जिस-जिस जगह पर इन संगठनों को पैसा मिला और जो-जो कार्य इन्होंने किए, उसकी जांच हुई और जो-जो कार्य इन्होंने किए, उसकी जांच हुई और जब कमीशन की रिपोर्ट हमें उपलब्ध हुई तो हमने इस कमीशन के जितने भी केसिज इन्होंने एग्जामिन किए, वह सभी संबंधित राज्य सरकारों को, केन्द्र के विभागों को, केन्द्र-शासित राज्यों को वह सबके सब भेजे गए और आप

जानते हैं जिस प्रक्रिया से हमारा शासन चलता है, तो उसमें जो टाइम लगा, अभी भी बहुत सी इन्वेस्टीगेशन कम्पलीट नहीं हुई हैं जैसा मैंने अपनी एक्शनटेकन रिपोर्ट में कहा है । हां, एक बात आपने कही कि इसको इस वक्त क्यों लाए ? श्रीमान, आप तो जानते हैं कि लोक सभा का यह शायद आखिरी सत्र होगा और लोक सभा की यह जांच रिपोर्ट है, अगर इसे लोक सभा में नहीं रखते तो कहां रखते ? आप तो यही चाहते थे कि इनके लोगों के बारे में जो सच्चाई, हमारा महज़ अंदाज़ नहीं था, मैं नहीं चाहता था, मुझे क्या मालूम था कि इस कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है । मगर, जब इससे पर्दा उठाया गया तो इसमें बहुरंगी चेहरे निकले । वह चेहरे पहचानने के लिए वहां तो बहुत सारे जनता दल में निकले। श्रीमान, इसमें मेरा क्या कसूर है ... (व्यवधान)...

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: All reports are tailored and made in Delhi to suit the ruling party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No, no, don't say that.

श्री बूटा सिंह : रेड्डी साहब, यदि आपने नहीं पढ़ी है रिपोर्ट तो इसमें मेरा क्या कसूर है ? और इसमें यदि नाम ही वह निकलें जिनके चेहरे से पर्दा उठा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है ? इस सदन में यह रिपोर्ट इस साल में आनी थी । संविधान के मुताबिक... (व्यवधान)...

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी : आप ही ने तो लिखवाया । ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : नहीं, ऐसा मत कहिए ।

श्री बूटा सिंह : यह इस लोक सभा की प्रापर्टी थी और इसी लोक सभा में इसे पेश करना था । श्रीमन, अब आप चाहेंगे कि अगले इलेक्शन तक यह सरकार किस को हाथ ही न लगाए, सब पुज्य गौ-माता हैं तो मैं नहीं मानता हूं क्योंकि हम तो जब तक देश-वासियों ने हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है देश की सेवा की, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपने देश की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे । उसमें इस बात की परवाह नहीं है कि इससे हमारे दल को क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है और इस बात से भी नहीं घबराते हैं कि इससे विपक्ष बचता है या नहीं बचता है । हम तो सच के ऊपर चलकर अपने देश की सेवा आखिरी दम तक करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि इस सेवा के यश से देशवासी पुनः कांग्रेस पार्टी के प्रति वह श्रद्धा व्यक्त करेंगे कि यह जो मुट्ठी भर लोग, जो इस वक्त अपने आपको विकल्प कहते हैं, वह विकल्प खत्म हो जाएगा । ... (व्यवधान)... मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं आप क्यों घबरा रहे हैं ? सारी जिन्दगी तो आप कांग्रेस की सेवा करते रहे, आज भ्रम में फंसकर आप चले गए । कैसी बात करते हैं आप । ... (व्यवधान)...

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी : मैं समाजवादी हूं, मैं कभी कांग्रेस.... (व्यवधान)....

श्री बूटा सिंह : आप बुरा मत मानिए । आपका जिक्र नहीं है । ... (व्यवधान) ...इसलिए मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि जो इस रिपोर्ट में मुद्दे आए हैं, वह मुद्दे आज हमारे सामने हैं । उसमें ... (व्यवधान)....

[The Deputy Chairman in the Chair].

THE DEPUTY CHAIRMAN: I just want to make an announcement. I do not want to disturb your speech.

The Prime Minister is going to make a statement at 5.45 p.m. on the Pension of Freedom Fighters. Soon

[The Deputy Chairman]

after, the Home Minister will make a statement on the Bodo agitation. After the Prime Minister's statement, as soon as it is over, the clarification are over, then the Home Minister will make a statement. I came only to announce that. Thank you. (*Interruptions*).

[The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair].

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): She thought I was standing there.

SHRI BUTA SINGH: He was caught behind the wicket.

श्रीमान, मैं अज कर रहा था कि जो विलंब की बात की जाती है, यह विलंब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बयान हो जाता है जब हम कमीशन की वर्किंग कंडीशंस को देखते हैं । और जिस तरह से कमीशन के खिलाफ मुकदमें किए गए दिल्ली हाई कोर्ट में और अन्य हाई कोर्टों में, कमीशन को हाथ बांधकर अपना काम करना पड़ा क्योंकि हर रोज उनको किसी न किसी हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा । इसलिए मैं कहूंगा कि कमीशन को मैं इस बात के लिए ऐप्रिसियेशन देता हूं कि बावजूद इतनी रुकावटों के, बावजूद इतने रोड़े खड़े करने के, उसने अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखी है । इसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं ।

श्रीमन्, अब मैं एक एक करके उन मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना चाहूंगा जो यह माननीय सदस्यों ने उठाए हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि गुरुपदस्वामी जी ने कहा था कि कांग्रेस जन को कमीशन का चेयरमैन क्यों नियुक्त किया गया ? श्रीमन्, पहले तो मैं उनको यह कहूं कि यह डेमोक्रेसी में दुनियां भर में होता ही है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं अकसर वही हाई कोर्ट की बैंचेज में जाते हैं । मैं यू०के० का आपको उदाहरण बताना चाहता हूं :

In U.K., the Attorney General who is also the Law Minister is invariably invited to be the Lord Chief Justice.

वहां डेमोक्रेसी की यह प्रथा है कि वहां का लॉ मिनिस्टर ही बाइ कंवेंशन चीफ जस्टिस बनता है । यू०एस०ए० का भी उदाहरण मैं आपको बताता हूं :

Senators and representatives belonging to both major political parties have been appointed judges of Supreme Court as well as State Sopreme Court.

अब मैं अपने देश की तरफ आता हूं । हमारे देश में दो प्रक्रियाएं चल रही हैं किसी पीठ को संभालने की चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो । एक तो सर्विसेज से आते हैं, जुडिशियरी से आते हैं । दूसरे बार काउंसिल के लोगों को इनवाइट किया जाता है और जो बड़े कानूनदां वकील होते हैं, वे अक्सर बैंच पर आते हैं । इसमें मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा कि किस पार्टी ने किसको बनाया क्योंकि जब वे न्यायाधीश होते हैं तो वे न्यायमूर्ति होते हैं क्योंकि यह जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ बेइंसाफी है कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता के कारण हमने जो नाप तौल तय किए हैं उनके आधार पर बैंच पर बैठता है तो वह न्यायमूर्ति होता है और उसके बाद उसके लिए यह कहना कि वह फलां जाति का है, फलां भाषा का है, फलां प्रान्त का है, यह उस न्यायमूर्ति के साथ बेइंसाफी करना है इसलिए मैं कहूंगा कि आइंदा ऐसा कहने की गलती न करें।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: What did the Congress Members attack Justice Thakkar on the Thakkar Commission Report?

SHRI BUTA SINGH: Nobody attacked Justice Thakkar.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: All of them did it.

SHRI BUTA SINGH: I don't know; you must have been sleeping.

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): He should be careful in nominating people...

श्री बूटा सिंह : श्रीमन्, इस देश का सौभाग्य से कि हमारे चीफ जस्टिस साहबान, जज साहबान इस सदन के मेंबर भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, चेयरमैन रहे, यह तो हमें खुशी होनी चाहिए, इस बात के लिए हम गौरवान्वित हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी और जुडिशियरी में आपस में समन्वय है, इतना सुन्दर सम्मिलन है। इसके लिए गुरुपदस्वामी जी आपको गर्व होना चाहिए। इसके लिए आपने टिप्पणी की जिसका मुझे खेद है। अब मैं एक एक बिन्दु को लेकर चलूंगा।

श्रीमान, बहुत से माननीय सदस्यों ने, सुकुल साहब ने, आनन्द शर्मा जी ने, गुरुपदस्वामी जी ने इस बात का जिक्र किया कि गवर्नमेंट ने इस तरह पैसा क्यों रिसिव होने दिया ? मैं सिर्फ प्रोसीजर आपके सामने ब्यान करूंगा क्योंकि मुझे याद है कि इसी सदन में कुदाल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर फुल डिस्कशन होने वाला है, यह फैसला हो चुका है। इसलिए मैं कुदाल कमीशन के सामने जो सवाल हैं वह मैं उस वक्त रखूंगा।

श्रीमान एक तो प्रश्न यह उठा कि जो प्रोसिजर है फारेन कंट्रीब्यूशन का उसके तहत गवनमेंट ने सख्ती क्यों नहीं की ? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि--

The procedure regarding receipt of foreign contributions by organisations in India is laid down in the Foreign Contribution (Regulation) Act, known as the FCRA., which was enacted in 1976 and amended in 1984. The question of totally doing away with foreign contributions has been considered in the past but was not recommended because such action would mean denying large scale positive benefits which are now accruing to certain section of our society, such as social service, education, upliftment of the weaker sections of the society etc. The organisations are also likely to adopt clandestine methods if they are not regulated.

Therefore, it was considered by this august House, by Parliament, that we should have rules and regulations under respective laws of the land under which separate bank accounts in India for the foreign contributions received could be kept and also the manner in which they are utilised is explained. They are also required to submit audited accounts on specified forms, in the prescribed manner and within the preserved time. The kind of violations are described in the Act and the organisations violating the provisions of the Act invite action which may be in the form of putting them under 'prior permission category' or 'prohibited category'. There are two categories.

एक तो यह है कि पहले परमिशन ले और दूसरा यह है हम उनको प्रोहिबिटेड कर देते हैं। इसमें माननीय सदस्यों ने पूछा है कि कितनी ऐसी उत्तम बॉडियां हैं, आर्गेनाइजेशंस हैं। मैं कहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर एक-दो दिन में आ रहा है उसमें पूरा विस्तार सहित विवरण इस सदन के सामने रखा जा रहा है।

श्री कैलाश पति मिश्र : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि विदेशों से आने वाली कितनी....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is a separate question.

आप पहले इनको सुन लीजिए। बाद में मैं देखता हूं।

श्री कैलाश पति मिश्र : मैं यह पूछ रहा था कि विदेशों में....

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप पहले मंत्री जी को सुन लीजिए। बाद में देखा हूं।

श्री बूटा सिंह : मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे देश में कोई 162 के करीब ऐसे आर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमने कहा है **They are of political nature. They are not political parties but they are described as organisations of political nature.**

इसमें कोई 12 हजार 154 आर्गेनाइजेशंस हैं जिनको रजिस्टर्ड करने के लिए अंडर सेक्शन 6(1) आफ द एक्ट अप टु जून,

[श्री बूटा सिंह]

89 तक नोटिस दिया गया है। कुछ ऐसी आर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में जैसा मैंने कहा प्रश्न के उत्तर में पूरी जानकारी इस सदन के सामने रखी जाएगी। आप पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर नेक्स्ट डिसकशन जब आयेगी तो पूरी तस्वीर होगी उस पर बहस कर सकते हैं। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है।

गुरुपदस्वामी जी ने कहा कि ऐसा पैसा जो बाहर से कंट्रीब्यूशन में आया है उनको क्यों नहीं रोका गया। मुझे यह कहना है कि पहली जनवरी, 85 से पहले इन आर्गेनाइजेशंस को केवल इतनी ही इनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि वह इंटीमेट करें। रोक नहीं सकते कानून के मुताबिक। देयरफोर इसी सदन सामने एक अमेंडमेंट लायी गयी जिससे अब अनिवार्य होता है कि पहले सूचना दें और फिर उसके बाद उनको इजाजत दी जा सकती है।

The Foreign Contribution (Regulation) Act was brought forward only after it was discovered that these organisations have taken funds from abroad without proper permission of the Government and without following the rules and regulations. For example, the All-India Sarva Seva Sangh.

सर्व सेवा संघ जस्टिस कुदाल की इंक्वायरी के बाद जो नजर के सामने आया उसको ध्यान में रखा गया और इस प्रकार से संशोधन किया गया जिसमें अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई संस्थान बाहर से फारेन एक्सचेंज मंगाती है तो वह सरकार की पहले परमिशन ले। इसलिए उनको प्रिआयर परमिशन में रखा गया। जो संस्थाएं इस बात को नहीं मानेंगी उनको प्रोहिबिट कर दिया जायेगा।

इसी तरह से मदन भाटिया जी ने प्रश्न उठाया है कि कौन सी ऐसी-ऐसी संस्थाएं हैं जिनका बाहर की गुप्तचर एजेंसियों के साथ संबंध है। सुकुल जी ने पूछा और श्री आनन्द शर्मा जी ने पूछा इस बारे में मुझे निवेदन करना है कि जो हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है उसमें इन सभी संस्थाओं का विवरण दिया गया है। उनमें गांधी पीस फाउंडेशन, एवार्ड, गांधी स्मारक निधि, आल इंडिया सर्व सेवा संघ है। चौथी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक-एक वोल्यूम में जितना पैसा आया है, क्या-क्या, कहां-कहां और कैसे-कैसे उस पर कार्यवाही की गई, जैसा अभी माननीय सदस्य श्री सिब्ते रजी जी फरमा रहे थे, मैं बिहार का एक उदाहरण देता हूं। बिहार राज्य में श्री जार्ज फर्नांडिस के चुनाव क्षेत्र में जब वे देश के उद्योग मंत्री थे, यह फंड वहां इसलिए लगाया कि वहां की खादी और विलेज इंडस्ट्री में जो काम करने वाले देहात के दस्तकार थे उनके लिए यह पैसा रखा गया था। परन्तु कमीशन की फाईंडिंग के मुताबिक इस पैसे का दुरुपयोग राजनैतिक मनोरथ के लिए इस्तेमाल किया गया। यह कमीशन की चौथी रिपोर्ट में सिद्ध किया गया है। पांचवीं रिपोर्ट में उन्होंने जिक्र किया है गांधी पीस फाउन्डेशन एवार्ड, गांधी स्मारक निधि, आल इंडिया सर्व सेवा संघ और इसमें जो मुख्य लोग हैं जिनका नाम उसमें आया है वे हैं—श्री धनिक लाल मंडल जो भूतपूर्व मंत्री थे और रजिया अहमद सेक्रेटरी, गांधी स्मारक संग्रहालय और श्री सादिक अली, श्री सोमदत्त विद्यालंकार, श्री आर. आर. दिवाकर, श्री के. एस. राधाकृष्ण, श्री वी. आर. नन्दा, श्री एम. देसाई, डा. उषा मेहता, श्री विमल प्रसाद और श्री देवी प्रसाद। श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब कुदाल कमीशन की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे, जितने वोल्यूम आपके सामने आएंगे, पहले से छठे तक, और इंटरिम रिपोर्ट तक, आप देखेंगे कि यही नाम जो मैंने अभी पढ़े हैं, ये जो पांच-छः संगठन हैं, यही 5—6 विभूतियां बदल-बदल कर सब जगहों पर हैं, वही चेहरे नजर आते हैं। देखने की बात यह है कि ये जो संगठन हैं इनका संबंध ऐसे-ऐसे संगठनों के साथ है जिनको देश के हितों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया—

The Commission has observed in most of the cases that a large chunk of foreign funds went into the hands of undersirable elements and were used for various disruptive and clandestine activities meant to create chaos and destabilisation in

the country. The agencies being run in the name of Mahatma Gandhi have allowed themselves to be used by the foreign agencies.

इसमें कुछ ऐसे एजंसियां भी हैं जिनको दुनिया भर में यह माना गया है कि ये कवर एजेंसियां हैं और एक्चुअली ये विकासशील देशों की सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, बड़ी-बड़ी सरकारों को, बड़ी-बड़ी ताकतों को, बड़ी-बड़ी शक्तियों को गिराने में की जाती हैं। इसमें यहां तक हो चुका है कि एक वर्ल्ड नेबर्स, यू० एस० एस० हैं, यह भी कवर एजेंसी है।

They are only a cover agency. World neighbours (USA) gave a grant of Rs. 4 crores to the Gandhian organisations operating in the State of Kerala.

इसी तरह से कमीशन के सामने यह भी तथ्य आया है और कमीशन ने आब्जर्व किया है—

The Commission observed that it cannot be ruled out that these organisations played into the hands of the CIA and they were found indulging in activities of highly questionable nature.

इस प्रकार के रिमार्क्स कमीशन के आये हैं। हमारे माननीय सदस्य जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सियों पर उछल-उछल कर कूद रहे थे। अब कमीशन ने अपनी फाइंडिंग दी है तो बजाय इसके कि इन फाइंडिंज के ऊपर बहुत गम्भीरता के साथ, चिन्ता के साथ, फिक्र के साथ विचार करें, कमीशन की पगड़ी उछाली जा रही है। देखने की बात यह है कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी के नाम पर चलाई जा रही संस्थाओं ने और कुछ व्यक्तियों ने देश के निहायत ही सेंसिटिव एरियाज में, बार्डर एरियाज में, जम्मू और काश्मीर में, फ्रंटियर सेक्टर में, बिहार में और दक्षिण में इस प्रकार की गतिविधियों में उस धनराशि को, इस शर्मायें को, लगाया, जैसा श्री सिब्ते रजी जी ने पढ़-पढ़ कर बताया कि कैसे ऐसा लिटरेचर छापा जिसका महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा से कोई संबंध नहीं है... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए... (व्यवधान)।

श्री बूटा सिंह : मालवीय जी का मैं बड़ा आदर करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम से उनका जीवन सम्बद्ध रहा है। गांधी जी ने जो कहा था वह तो हम सब को याद है। मगर जो गांधी जी की छाती पर छुरा घोंपा गया था? आज मालवीय जी किसके साथ आप बैठ हुए हैं? आज आप उस पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। उनके साथ इलेक्शन समझौता हो रहा है। मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, आप के दल की बात कर रहा हूं। इसलिये हमें समझना चाहिये कि हम गांधी जी से कितने दूर चले गये हैं। आज का दिन सबसे बढ़िया दिन है जब कि हम उनको याद करें, उनकी बातों पर चलें, उनके आदर्शों पर चलें, गांधी जी ने देश के कोटि कोटि भारतवासियों को चट्टान की तरह खड़ा किया था। महात्मा जी के विचारों से, आज हम गांधी जी के आदर्शों से दूर हो गये हैं। यह एक सूक्ष्म बात है, यह एक स्माल, छोटी सी बात है चंद मुट्ठी भर लोगों के बारे में है। उनके बारे में जिन लोगों ने इस पवित्र आत्मा का दुरुपयोग किया है। जिसके नाम से विश्व शांति का नाम आता है उसके नाम पर, उसका नाम लेकर हमारी युवा पीढ़ी को, नौजवानों को देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सड़कों पर घसीटा गया और चुने हुए विधायकों पर थप्पड़ मारे गये, उनके ऊपर थूका गया। मुझे याद है 1974 में जो कुछ हुआ या उसके बाद जो कुछ हुआ और जिस ढंग से लोकतंत्र को जड़ से उखाड़ने का प्रयास हुआ, यही नहीं एक स्रोत जिसने कुछ लोगों को शक्ति दी और साधन दिये और उन्हीं साधनों का इस्तेमाल करके आज बड़े बड़े नाम हमारे जो देश में घूम रहे हैं हैं, बहुत बड़े बड़े लिफाफे पकड़कर उन्होंने महात्मा जी के नाम को किस तरह से तहस-नहस किया, बरबाद किया यह सब जानते हैं। श्रीमन्, मैं व्यक्तिगत रूप से आज किसी भी नेता के बारे में नहीं कहना चाहता।

[श्री बूटा सिंह]

भले ही उनका जिक्र हो । मधु जी का है, पुरुषोत्तम कौशिक साहब का है। वर्गीस साहब का है, जार्ज फर्नांडीज साहब का है और भी कितने ही हैं । मगर आज मौका नहीं है । आज केवल जो बिन्दु या टिप्पणी यहां पर की गई है उनके बारे में ही मैं जवाब दूंगा । मैं समझता हूं कि मौका जब आयेगा उस वक्त मैं इन सभी महान नामों के बारे में बात कहूंगा, जिनका जिक्र इसमें है । हमारी जो ये संस्थायें हैं, आल इंडिया सर्व सेवा संघ, गांधी स्मारक निधि, इनके बारे में सजेशन आया कि इनका नेशनलाइजेशन किया जाय या इनको बैन किया जाय । हमारा देश एक स्वतंत्र देश है और हमारी सोसायटी खुली सोसायटी है । हम किसी की आजादी के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते हैं । भले ही इन लोगों की करतूतों से ये संस्थायें बदनाम हुई हैं मगर हम इस संस्थाओं के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते । हां, जो हमारे सामने मैटीरियल आया है, सी०बी०आई० की जांच जैसा कि अभी बहुत से सदस्यों ने कहा, उस तरफ से भी कहा, हमारे माननीय सदस्य बैबी साहब ने भी कहा कि सी०बी०आई० की जांच हो। इसको हम एक्सपीडाइट करेंगे । जो भी इसमें कानूनी कार्यवाही होगी, देश के कानून के अंतर्गत, हम इसको करने की कोशिश करेंगे । मगर इन पर हम किसी प्रकार का प्रतिबंध लगायें ऐसा हमारा विचार नहीं है । हमारी सोसायटी ओपन सोसायटी है । हम लोगों की आजादी के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे सुधारने की । मगर नहीं सुधरेंगे तो यह आखिरी हथियार है । हम अभी आखिरी हथियार का इस्तेमाल क्यों करें ? हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक खुली सोसायटी हो और स्वतंत्र भारत एक गणराज्य के रूप में पूरी तरह से पनपे और फले । जो भी गतिविधि देश के खिलाफ होगी उसके ऊपर हम पूरी तरह से नजर रखेंगे और जिस वक्त कोई ऐसी बात हमारे ध्यान में आयेगी, जो इस देश की एकता के लिये, देश की अखंडता के लिये, देश की सुरक्षा के लिये खतरा है तो उसके ऊपर पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे जोर के साथ कदम उठायेंगे । मैं उनमें नहीं हूं, जैसा कि अभी मान्यवर सदस्यों ने सुझाव दिया कि इनको पकड़ कर बंद कर दिया जाय और इन संस्थाओं को भी बंद किया जाय । हम पहले कानूनी कार्यवाही करेंगे लेकिन अगर उसके बाद भी बात हद से बढ़ेगी तभी हम आखिरी हथियार का इस्तेमाल करेंगे । मैं समझता हूं कि जो मुद्दे मान्यवर सदस्यों ने उठाये हैं, उनमें से बहुत से मुद्दों का मैंने उत्तर दे दिया है । बाकी जो समूची रिपोर्ट है उसका जवाब देने के लिए, श्रीमन्, मैं गुरुपदस्वामी जी के सामने एक छोटा सा प्रश्न रखना चाहता हूं । आपने कहा कि हम लोगों ने कमीशन का बहुत इस्तेमाल किया है, कमीशन की संस्था को हमने बहुत सस्ता कर दिया है । श्रीमन्, जो प्रस्ताव सदन देता है हम उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं । यह कमीशन लोकसभा के प्रस्ताव पर बना । मैं गुरुपादस्वामी जी से पूछना चहता हूं कि जब जनता पार्टी शासन में आई तो आपने देश में कमीशनों की बाढ़ ला दी और कमीशन भी कैसे कायम किये । श्रीमन्, इस सदन को याद होगा शाह कमीशन का नाम और भी कमीशन पैदा हुए थे ।

श्री बूटा सिंह : वह तो न जाने शाह कमीशन, गोवर कमीशन, वैद्यलिंगम कमीशन, जगनमोहन रेड्डी कमीशन, त्रिखा कमीशन, गुरदेव सिंह कमीशन, एक बाढ़ आ गई (व्यवधान)

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): In all the Commissions, the person who gave evidence against Mrs. Ganhdi is in the Congress now.

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I want only to draw the attention of the hon. Home Minister to one particular Commission. The Trikha Commission was constituted, and one of the charges which the Commission was asked to look into was that Mrs. Ganhdi had stolen one chicken.

श्री बूटा सिंह : श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि कमीशनों की बाढ़ आई और उस बाढ़ से एक ऐसा कमीशन बना जिसका नाम था शाह कमीशन और शाह कमीशन की जो कार्यवाही थी वह कैसे होती थी । क्योंकि उन में मैं भी जाता

था मदन भाटिया जी भी हुआ करते थे और भी बहुत से दोस्त थे। मालूम है, कैसे कचहरी लगती थी ! कचहरी के अन्दर जनता पार्टी के बड़े बड़े धुरन्दर, दिग्गज लोग काले कोट पहन कर बैठते थे क्या होता था ? कमीशन के अन्दर माइक रखे जाते थे। इण्डिया गेट, जनपथ पर लाउड स्पीकर रखे जाते थे। आज हमें उपदेश दे रहे हैं गुरुपदस्वामी जी और उपेन्द्र जी कि इस में राजनीति मत लाइये।। श्रीमन, कमीशन के सामने जो वक्तव्य होते थे उनको पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऊपर नशर किया जाता था ताकि जो सड़कों पर लोग चल रहे हैं उनको पता चले कि जनता पार्टी अपनी राजनीति में कितनी नीचे आ चुकी है। वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जिसकी एक आवाज पर देश के कोने कोने से लोग सर्वस्व बलिदान करने के लिए खड़े हो जाते थे उनके बारे में झूठे, कुवड-अप, फेब्रीकेटेड, फाल्स चर्जेज बना बना कर शह कमीशन के सामने पेश किये गये (व्यवधान) प्रोफेसर. लोगों ने जवाब दे दिया और श्रीमती इन्दिरा गांधी को चिकमंगलूर के लोगों ने कर्णाटक के लोगों ने भारी बहुमत से चुन कर लोकसभा में भेजा (व्यवधान)।

श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र : गेस्ट हाऊस इस्तेमाल किया (व्यवधान) श्री वंगलराव को इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दिया (व्यवधान)

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: One person, Mr. Brahmananda Reddy who expelled Mrs. Gandhi from the Congress, is the Governor of Maharashtra. Another person, Mr. Venkatasubbaiah who also expelled Mrs. Gandhi from the Congress, is the Governor of Karnataka.

श्री बूटा सिंह : श्रीमन उपेन्द्र जी ने एक बात याद दिलवा दी। इन्दिरा जी की बात करते हैं, उनके रोम रोम में लोकतंत्र था। जिस ने एक एक बूंद अपने इस देश की एकता और अखण्डता के लिए बहाई है और जिसने सारा जीवन अपने पूज्य पिता पंडित जवाहर लाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में रह कर एक ऐसी मिसाल कायम की कि अपने प्रतिद्विंदी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और जब वह शक्ति में आईं जब पावर में आई तो सब से पहली केबीनेट में किस को बैठाया, जो उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ था, कोई मुकाबला कर सकता है श्रीमती इन्दिरा गांधी के लोकतन्त्र का ? (व्यवधान) श्रीमन, जब वह प्रधानमंत्री बनी तो सब से पहले उन्होंने जो जनता पार्टी के वक्त में हालांकि इनके राज में भी मुझे याद है वैद्यलिंगम कमीशन चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बारे में (व्यवधान) श्रीमन यह यहां इन्दिरा जी का नाम लेते हैं। इन्दिरा जी का नाम, इन्दिरा जी इसी कुर्सी पर बैठी थी। और उनके सामने एक कच्चा चिट्ठा पेश हुआ था वद्यलिंगम का और वह वैद्यलिंगम कमीशन भी सदन के रिजोल्यूशन से बना था। आप भूल गये। एन० के० पी० साल्वे साहब के एक रिजोल्यूशन पर वैद्यलिंगम कमीशन बना था और उस वैद्यलिंगम ने क्या कहा था मैं आपकी अनुमति हो तो मैं चन्द वाक्यों को पढ़कर सुनाता हूं...(व्यवधान)

श्रीमन, इस सदन में जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा के बारे में दो मुद्दे उस वैद्यलिंगम कमीशन के सामने थे : एक तो इस सदन में जो डिबेट हुई थी उसमें जो चर्जेज लगे थे मोरारजी भाई के परिवार के खिलाफ और श्री चरण सिंह के परिवार के खिलाफ, ये उनके टर्म्स आफ रिफरेंस थे और उसके बाद जो भी...(व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : कुदाल कमीशन पर चर्चा हो रही है या वैद्यलिंगम पर.. (व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : श्रीमन, उस वैद्यलिंगम ने यह कहा था :

"In view of the above circumstances I recommend and advise the *prima facie* case in relation to the charges referred to below, is established against Shri Kanti M. Desai

[श्री बूटा सिंह]

and Shrimati Padma Devi, family member of the present Prime Minister, Shri Morarji Desai, so as to justify a formal inquiry under the Inquiries Act."

क्या चार्जेज थे ? श्रीमन, कमीशन ने यह कहा :

"The circumstances relate to suppression of Shri O. V. Kurvila, the then Member of the Central Board of Direct Taxes and the appointment of Shri D. V. Vidambi as the Chairman of the Central Board of Direct Taxes in July, 1978, due to the..."

यह सुनने वाली बात है..(व्यवधान)

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) : असलियत को सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री बूटा सिंह : कमीशन का यह फैसला है :

"...due to the exercise of vast extra-Constitutional powers and the authority over the Government machinery for perpetrating and aggrandising his self-interest by Shri Kanti M. Desai, son of the then Prime Minister Shri Morarji Desai."

यह चार्ज इस्टेब्लिश हुआ । दूसरा चार्ज क्या इस्टेब्लिश हुआ :

"Due to the exercise of the extra-Constitutional powers and the authorities over the Government machinery for perpetrating and aggrandising the self-interset of Shri Kanti M. Desai, influenced the Government to relax its policy regarding the import of polyester filament yarn in August 1977 and further help the Kapadia group in obaining a licence to import the said commodity."

तीसरे चार्ज में कहा था :

"Shrimati Padma Desai utilising her position of the daughter-in-law of the then Prime Minister and assisted by the use of extra-Constitutional powers by her husband over the Government machinery, got a favourable judgment in favour of her income-tax appeal and thereafter brought political pressure os the concerned... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Sit down. (*Interruptions*).

SHRI M. S. GURUPADASAMY (Karnataka): On a point of order, Sir.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): On a point of order, Sir.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: He has been telling stories after stories.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I have no objection but..... (*Interruptions*).

SHRI BUTA SINGH: What has happened I am going to say.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JADESH DESAI): I will allow your point of order after the Minister conludes his speech.... (*Interruptions*).

SOME HON. MEMBERS: Shame, shame.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): In spite of my telling you are insisting upon your point of order.

SHRI BUTA SINGH: I am not yielding.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We are walking out in protest against partisan handling, absolutely partisan handling.

(At this stage some hon. Members left the Chamber).

SHRI BUTA SINGH: Now, come here and listen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DSEAI): Go ahead.

श्री बूटा सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि यह बहुत संगीन चार्जेज थे । अभी तो एक का ही नाम लेकर मैंने पढ़ा है । दूसरे साहब का तो मैंने नाम ही नहीं लिया था । यह बड़े संगीन चार्जज थे, मगर श्रीमती इन्दिरा गांधी का बड़प्पन देखिये, फराखदिली देखिये—

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI: They could not digest the truth. That is the point.

श्री बूटा सिंह : उनकी क्षमा करने की शक्ति देखिये यदि इन चार्जेज के ऊपर मुकदमे चले होते, तो यह बहुत बड़े नेता और उनके परिवार जेलों में होते, मगर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आदेश दिये कि इस कमीशन की रिपोर्ट को हम परसू नहीं करेंगे । इससे उन की उदारता का सबूत मिलता है । इससे इस बात का सबूत मिलता है कि विपक्ष के बड़े-बड़े नेता, चाहे कितना क्यों न नीचे चले जायें, मगर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी, पं० जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दिये हुए आदेशों को अपने सामने रखा और क्षमा कर दिया ।

महोदय, मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अपोजीशन का आजकल, इन दिनों में जो रवैया चल रहा है, मैं नहीं चाहता था कि सभी अपोजीशन पार्टियों को एक साथ कहूं मगर इसमें तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें न कोई वामपंथ है, न दामपंथ है, न कोई केंद्रीय दल है, यह सब एक हो गये हैं ।

हर गेम के उसूल होते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भी अपने उसूल हैं और इसमें चर्चा सब से महान बात है और चर्चा के बाद हाऊस को ताकत है, उसको शक्ति है कि व फैसला दे । इन सदनों का महत्व हमारे देश की राजनीति में, हमारे जीवन में एक और यह है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हैं, उनके ऊपर खुल कर चर्चा हो जाए, विपक्ष अपनी बात कहे, सत्ताधारी दल के लोग अपनी बातें कहें और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वह अपनी बात कहें और सारी बातों को सामने रख कर जो राष्ट्र के हित में फैसला करना है, वह यह सदन फैसला करे । मगर यह तो उस खिलाड़ी की तरह हैं जो कि गेम के किसी रूल को फालो नहीं करते हैं और जब इनको लगता है कि इस गोष्ठी में चर्चा में, बहस में उनके पास कोई तथ्य नहीं रह जाता, तो फिर एक हथियार या तो खड़े होकर गाली देते है, जोकि भद्दा हथियार है । आज सुबह जो कुछ हुआ था जो कल हुआ, जिस तरह से इस सदन की मानहानि हुई, जिस तरह से सदन का दुरुपयोग हुआ, जिस तरह से भाषा का दुरुपयोग हुआ और हमारे देश में जो लोकतंत्र में ध्रुव प्रधान मंत्री का जो पद है, उसकी इन्होंने मानहानि करने की कोशिश की, उसकी तो जितनी भी निंदा की जाए, थोड़ी है क्योंकि सत्ता में कोई भी दल हो, देश महान है और देश के लिए यह सदन महान है । सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा को कायम रखना सभी दलों, सभी पक्षों का काम है, मगर दुःख इस बात का है कि आज सुबह जब बात उठी, तो भी सब पक्षों के नेताओं ने जिस प्रकार का परिचय दिया, वह शोभनीय नहीं है, और आज के दिन खास करके जबकि हमारा एक समर्पण दिवस है, राष्ट्र का समर्पण दिवस है, मुझे पूर्ण विश्वास था कि इनमें से कम से कम कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने पब्लिकली स्टेट किया है, जो अपने आपको मार्क्सवादी कहलाते हैं कि जिस जगह पर देश की सावरेन्टी का प्रश्न आएगा, देश की इंडिपेंडेंस का प्रश्न आएगा, देश की सुरक्षा का प्रश्न आएगा, वह दल नीति से ऊपर उठेंगे, मगर चूंकि इलेक्शन का बुखार तेज हो रहा है, मुझे लगता है कि यह बात भी वह नजरन्दाज करते जा रहे हैं । यह जो कुदाल कमीशन है इसने ऐसे बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला है, ऐसे

[श्री बूटा सिंह]

मुद्दे खोले हैं देश के सामने जिस से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश की प्रभुसत्ता के ऊपर जिस के बारे में खतरे पैदा हुए हैं, देश की अखंडता के ऊपर खतरे पैदा हुए हैं, देश की सुरक्षा में खतरे पैदा हुए हैं । जस्टिस कुदाल ने एक नहीं, उदाहरण के बाद उदाहरण, रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट और नाम दे-दे करके कि किस बड़े देश की कौन सी गुप्तचर एजेंसी इसमें शामिल है, कैसे उन्होंने इन संस्थाओं के माध्यम से देश की सत्ता को, देश की एकता को, देश की आजादी को खतरे में डालने की कोशिश की, यह सब बताया है । मैं उम्मीद करता था कि कम से कम वे लोग विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, जो इस बात का खुले आम एलान करते हैं कि हम देश की आजादी को किसी तरह से खतरा नहीं होने देंगे, आज वह भी प्रतिक्रियावादियों के साथ और सांप्रदायवादियों के साथ और उन लोगों के साथ उठ कर गए हैं कि जिन लोगों को इस बात की तमीज ही नहीं और उन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश जाते हैं और जिन का पूरा खर्चा गुप्तचर एजेंसियां देती हैं और जिन के वहां टेलीविजन के इन्टरव्यूज, प्रैस कांफ्रेंसेज और देश से भागे हुए देश के दुश्मनों के साथ जिन की इन्टरव्यू कराई जाती है, उनके साथ खाने खिलाए जाते हैं, उन के साथ भाषण कराए जाते हैं, आज उन्हीं तत्वों के साथ, हमारे देश के तथाकथित मार्क्सवादी उन के साथ मिल कर जब काम करते हैं तो मुझे परेशानी होती है । मगर एक बात की परेशानी मुझे कभी भी नहीं होती है, क्योंकि मैं जानता हूं :

"न खंजर उठेगा, न तलवार उनसे
ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं ।"

[The deputy Chairman in the Chair.]

.... STATEMENT BY PRIME MINISTER

Announcement re. enhancement of pension and provision of additional facilities to Freedom Fighters receiving Central Pension under the Swatantrata Sainik Samman/ Pension Scheme

THE PRIME MINISTER (SHRI RAJIV GANDHI): Madam Deputy Chairman, today the 9th of August, 1989, is the anniversary of the Quit India Day in the year of the birth centenary of that great freedom fighter and nation builder, Pandit Jawaharlal Nehru. We remember today that historic day 47 years ago when Mahatma Gandhi launched the final phase of our struggle for freedom. It is a most apposite occasion for us to honour our noble *Swatantrata Sainiks.*

When they launched themselves selflessly into the Independence Movement, they sought nothing for themselvs while giving their all to the country. Their struggle was for a principle, not for material gain. Their cause was a great ideology, not a narrow chauvinism. Their goal was the freedom of India, and the freedom of all Indians, not a personal or selfish aim. Their higher objective was the end of Empire everywhere and liberty for all the oppressed peoples of the world.

As the beneficiaries of their sacrifice, the duty falls on our generation to extend to them the assistance they so richly deserve, but do not demand.

As a token of our gratitude, appreciation and regard for the swatantrata sainiks, I am happy to make the following announcements:

(i) The pension being paid to freedom fighters under the Swatantantrat Sainik Samman Pension Scheme, 1988 will be enhanced for the freedom fighters, their widows